



राजस्थान सरकार

जालोर
मास्टर प्लान

(2011 – 2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

समन्वयक

आवास विकास लिमिटेड, जयपुर

सलाहकार

एन.के.बिल्डकॉन प्रा.लि., जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर

आभार

जालोर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में जालोर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगरी के सुनियोजित विकास कार्य में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर जालोर, एवं नगर पालिका जालोर का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। एन. के. बिल्डकॉन प्रा. लि. द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षण तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सालय, जल-प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सतत सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।



(चन्द्र शेखर पाराशर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर

योजना दल कार्यालय, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर – वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
2. श्री आर.एस. चौहान – उप नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
3. श्री नितिन नेहरा – सहायक नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
4. श्री पवन कुमार काबरा – सहायक नगर नियोजक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
5. श्री आर.सी. भाटी – अनुसंधान सहायक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
6. श्री टी.आर. बामनिया – सहायक अभियन्ता, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
7. श्री कृष्ण कुमार – कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
8. श्री अरुण कुमार माथुर – निजी सहायक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
9. श्री दिनेश प्रकाश आसोपा – नगर नियोजन सहायक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
10. श्री सुगन चन्द जांदू – कनिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
11. श्री नरेन्द्र कुमार उज्जैनियाँ – कनिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर
12. श्री नरसिंह चौधरी – अनुरेखक, जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर

समन्वयक

1. आवास विकास लिमिटेड
श्री एस.डी. थानवी
- 4-स-24, जवाहर नगर, जयपुर
- चीफ जनरल मैनेजर, जयपुर

सलाहकार योजना दल

1. मैसर्स एन.के. बिल्डकॉन प्रा.लि., – इंजिनियर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स
2. श्री बी.एल. मेहरा – सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक एवं मुख्य नगर नियोजन सलाहकार, एन.के. बिल्डकॉन प्रा. लि. जयपुर
3. श्री मनोज अग्रवाल – सलाहकार व आर्किटेक्ट, एन.के.बिल्डकॉन प्रा.लि.
4. श्री गिरधारी कुमावत – सर्वे मेनेजर
5. श्री एम. वेलू – मेनेजर ऑटोकेड
6. श्री संदीप तिवारी – सर्वे इंचार्ज
7. श्री गिरिराज कुमावत – सी. एकजीक्यूटिव-कम्प्यूटर, (ग्राफिक्स)
8. श्री विशाल निगम – एकजीक्यूटिव-कम्प्यूटर (टाइप सैटिंग)
9. श्री संजय जांगिड़ – वरिष्ठ प्रारूपकार (ऑटोकेड)
10. श्री ओमप्रकाश सैनी – कनिष्ठ प्रारूपकार (ऑटोकेड)

विषय सूची

क्र.सं. अध्याय	पृष्ठ सं.
आभार	i
1. परिचय	1
2. विद्यमान विशेषताएँ	5
2.1. जलवायु व भौगोलिक स्थिति	6
2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	6
2.3 ऐतिहासिक	11
2.4जनांकिकी	14
2.5व्यावसायिक संरचना	16
2.6 विद्यमान भू-उपयोग	17
2.6 (1) आवासीय	20
2.6 (2) व्यावसायिक	22
2.6 (3) औद्योगिक	23
2.6 (4) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	25
2.6 (5) आमोद-प्रमोद	27
2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	28
2.6 (6) अ. शैक्षणिक सुविधाएं	29
2.6 (6) ब. चिकित्सा सुविधाएं	30
2.6 (6) स. सामाजिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थान एवं ऐतिहासिक स्थल	31
2.6 (6) द. अन्य सामुदायिक सुविधायें	32
2.6 (6) य. जनोपयोगी सुविधाएं	32
2.6 (6) र. श्मशान एवं कब्रिस्तान	35

2.6 (7) परिसंचरण	35
3. नियोजन की संकल्पना	41
3.1 नियोजन की नीतियां	43
3.2 नियोजन के सिद्धान्त	43
4. भावी आकार	49
4.1 जनांकिकी	49
4.2 प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना सन 2031	51
4.3 विकास प्रवाह एवं सुअवसर	52
4.4 नगरीय क्षेत्र	53
4.5 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	53
4.6 प्रस्तावित योजना क्षेत्र	54
5. भू-उपयोग योजना	59
5.1 आवासीय	60
5.1.1 आवासीय योजना क्षेत्र	61
5.1.2 आवास	62
5.2 वाणिज्यिक	63
5.2 (1) विद्यमान नगरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	64
5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	65
5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार	65
5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम	65
5.3 औद्योगिक	66

5.4 राजकीय	67
5.5 आमोद-प्रमोद	68
5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	70
5.7 परिसंचरण	74
5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी	79
5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	80
5.10 आपदा प्रबन्धन	81
6. मास्टर प्लान का क्रियान्वयन	83
6.1 प्रस्तावित आधार	83
6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग	84
6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	84
6.4 उपसंहार	85

परिशिष्ट

1. परिशिष्ट-1 : राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण 86
2. परिशिष्ट-2 : राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण 89
3. परिशिष्ट-3 : राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना
3(1)प.10(45)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक, -02 .08, 2011 92
4. परिशिष्ट-4 : कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजन, नगर नियोजन विभाग,जोधपुर जोन,
जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना धारा 5(1), क्रमांक जेडीजेड /1120/
एम.पी.जालोर, दिनांक, 20 अक्टूबर 2011 93
5. परिशिष्ट-5 राजकीय अधिसूचना धारा 7(1), क्रमांक प.10(45)नविवि/3/2011
जयपुर, 08 मई, 2012 94

तालिका-सूची

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका-1	जनसंख्या वृद्धि दर जालोर (1901 - 2001)	15
तालिका-2	व्यावसायिक संरचना, जालोर 1971-1981-1991-2001	17
तालिका-3	विद्यमान भू-उपयोग प्रवृत्ति, जालोर- वर्ष 1988 एवं 2011	19
तालिका-4	प्रथम मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग 2011 व विद्यमान भू-उपयोग-2011	20
तालिका-5	औद्योगिक संरचना, जालोर-2011	25
तालिका-6	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, जालोर-2011	27
तालिका-7	शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण, जालोर-2011	29
तालिका-8	चिकित्सा सुविधाएं, जालोर	30
तालिका-9	जल सम्बन्ध एवं प्रकार, जालोर- 2011	33
तालिका-10	विद्युत कनेक्शन एवं प्रकार, जालोर- 2011	35
तालिका-11	विभिन्न विधियों से जनसंख्या का अनुमान	50
तालिका-12	जालोर नगर जनसंख्या वृद्धि दर 1981-2031	50
तालिका-13	व्यावसायिक संरचना जालोर - 2001, 2011, 2031	51
तालिका-14	योजना क्षेत्र, जालोर- 2031	54
तालिका-15	प्रस्तावित भू-उपयोग, जालोर- 2031	60
तालिका-16	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, जालोर- 2031	64
तालिका-17	प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग, जालोर-2031	67
तालिका-18	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, जालोर-2031	75

1
परिचय

1. परिचय

जालोर नगर जिला मुख्यालय है तथा जोधपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं पर्यटक नगर है जो जोधपुर नगर से 140 किमी. की दूरी पर तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर से 450 किमी. की दूरी पर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। इस नगर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। यहां का ग्रेनाइट उद्योग पूरे भारत वर्ष एवं दुनिया के अन्य देशों में प्रसिद्ध है। जालोर नगर ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन एवं मध्यकालीन समय में यह नगर "जबालीपुरा" नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर के पश्चिम में स्थित पहाड़ स्वर्णगिरी कहलाता है इसलिए इस नगर का नाम "स्वर्ण नगरी" भी पड़ा। वर्ष 1988-89 तक यह नगर समदड़ी-जोधपुर-बाड़मेर छोटी रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ था, लेकिन वर्ष 1990 में छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित कर दिया गया और जालोर नगर को दक्षिण की तरफ भीलड़ी, पालनपुर (गुजरात प्रदेश) नगरों से जोड़ दिया गया। वर्तमान में जालोर नगर से रेल द्वारा भारत वर्ष के महत्वपूर्ण नगर जैसे अहमदाबाद, गांधीधाम, आबू रोड़, जोधपुर, बाड़मेर आदि जाया जा सकता है। राज्य राजमार्ग 16 इस नगर के पूर्व दिशा में स्थित देसूरी कस्बे से शुरू होकर सादड़ी, फालना, तखतगढ़ होते हुए जालोर को आता है। इसी प्रकार राज्य राजमार्ग 31 जालोर से शुरू होकर दक्षिणी दिशा में भीनमाल, रानीवाड़ा कलां होते हुए राज्य राजमार्ग 11 पर मिलता है। राज्य राजमार्ग संख्या 11 एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य राजमार्ग है जो कि आबू रोड़ से सांचोर जाता है। सांचोर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है, जो पठान कोट से बाड़मेर नगर होते हुए सांचोर होकर कांडला (गुजरात) तक जाता है। इस प्रकार जालोर नगर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों एवं भारतवर्ष के अन्य नगरों से सड़क एवं रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। जालोर जिले के अन्य गांव एवं नगर जालोर नगर से पक्की सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं। जालोर जिले में अच्छी किस्म का ग्रेनाइट पत्थर यहां पर स्थित पहाड़ियों पर उपलब्ध है। इस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की पट्टीयाँ काटकर फिनिशिंग व पॉलिश की जाती है और टाइल्स भी बनाई जाती है। वर्ष 1983-84 में कुछ उद्योगपतियों ने इस नगर के उत्तर की तरफ बिशनगढ़ रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के सहारे उद्योगों को स्थापित करना शुरू किया था

और जिससे आस पास के क्षेत्रों में इन उद्योगों से निकलने वाली स्लरी से पर्यावरण प्रदूषित होता रहा है। वर्ष 1984 में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा बिशनगढ़ रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के पूर्व की तरफ पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया और उसके अन्तर्गत 55 औद्योगिक भूखण्ड 14.6 एकड़ (5.9 हे.) क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये। इस औद्योगिक बस्ती के बसने के बाद रीको ने पुनः वर्ष 1989 में बिशनगढ़ स्टेशन जाने वाली रोड़ के पश्चिम की तरफ एक ओर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जहां पर 26.16 (10.6 हे.) एकड़ क्षेत्र में 103 भूखण्ड प्रस्तावित किये गये। वर्ष 1989 के बाद भीनमाल जाने वाली सड़क पर ग्रेनाइट उद्योग विकसित करने के लिए रीको ने एक तीसरा औद्योगिक क्षेत्र 168.77 एकड़ (68.3 हे.) क्षेत्र में विकसित किया जिसमें 275 औद्योगिक भूखण्ड प्रस्तावित किये गये। उपरोक्त औद्योगिक विकास के कारण जालोर नगर में नगर पालिका सिनेमा के बाहर भी भीनमाल सड़क पर कृषि भूमि पर उद्योगपतियों द्वारा ग्रेनाइट उद्योग छितरे रूप से विकसित किये जा रहे हैं। हालांकि इस नगर में पिछले 30 वर्षों में लगभग 600 ग्रेनाइट उद्योग स्थापित हो चुके हैं लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे ट्रक स्टैंड, गोदाम भण्डारण व मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हुई हैं। तीव्र औद्योगिक विकास के कारण इस नगर में यातायात भी दिनों दिन बढ़ रहा है और मुख्य सड़कों के मार्गाधिकार में ही ट्रक एवं अन्य माल वाहक वाहन मरम्मत आदि के लिए खड़े रहते हैं। वर्तमान में बड़े माल वाहक वाहन जो बाड़मेर एवं बिशनगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ से आकर जालोर नगर में होकर भीनमाल, जोधपुर तथा पाली नगर को जाते हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने पंचायत समिति कार्यालय के पास से बाईपास सड़क का निर्माण किया है। समस्त भारी वाहन नगर में जाये बिना बाहर की तरफ होते हुए व रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क से होते हुए भीनमाल व जोधपुर नगरों के लिए आवागमन होता है।

वर्ष 1991 में इस नगर की जनसंख्या 33650 थी तथा वृद्धि दर 39.63 थी जो अन्य नगरों के मुकाबले काफी अधिक थी, इससे यह साबित होता है कि दशक 1981-91 के मध्य काफी संख्या में औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई है और जिले में स्थित गांवों व आस पास के नगरों से काफी संख्या में इस नगर में रोजगार लेने के लिए लोगों का पलायन हुआ है। वर्ष 2001 में इस नगर की जनसंख्या 44830 थी और वृद्धि दर 33.22

प्रतिशत थी। 1991–2001 में भी इस नगर में पलायन हुआ है। मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2011 में यहां की जनसंख्या लगभग 58961 होने का अनुमान है जबकि जनगणना विभाग द्वारा अभी तक इस नगर की सही जनसंख्या की गणना जारी है। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस नगर की जनसंख्या लगभग 100000 व्यक्ति हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार इस नगर में लगभग 55000 अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। यहां के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु बड़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मूलभूत व जनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। 1988–89 में पहला मास्टर प्लान बनाने के बाद दो दशकों में अर्थात् वर्ष 2011 तक जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उनको भी दूसरे मास्टर प्लान में पूरा करने के प्रस्ताव दिये हैं जिससे आने वाले 20 वर्षों में जालोर नगर को नियोजन के मापदण्डों के अनुसार विकसित किया जा सके।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(i) के अन्तर्गत राजकीय अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(45) नविवि/3/2011 दिनांक 12.8.2011 द्वारा जालोर के नगरीय क्षेत्र जिसमें जालोर राजस्व ग्राम का जवाई नदी के दक्षिणी–पश्चिमी का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं लेटा राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया गया है, का सर्वेक्षण कर मास्टर प्लान बनाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर को अधिकृत किया गया है। इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया व विभिन्न विभागों/संस्थाओं एवं अन्य स्रोतों से आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया। हित धारकों के सुझाव भी इसमें समायोजित किये गये हैं।

आधार वर्ष 2011 में कुल विकसित क्षेत्र 1691.8 एकड़ (685 हे.) है। वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 1,00,000 व्यक्तियों हेतु 6781 एकड़ (2745.4 हे.) विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 26058 एकड़ (10550 हे.) का 26 प्रतिशत है। नगर को चार योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह मास्टर प्लान न केवल नगर के भावी विकास को दिशा निर्देश प्रदान करेगा बल्कि नगर में जीवन के गुणात्मक वृद्धि करने में कारगर सिद्ध होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया जाकर इस प्रारूप मास्टर प्लान के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर यथोचित आपत्तियों/सुझावों को समाहित कर इसे राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः मास्टर प्लान जालोर राज्य सरकार के समक्ष राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत स्वीकृती हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



(चन्द्र शेखर पाराशर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(45)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक, 8 मई, 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 5)

2

विद्यमान विशेषताएँ

2. विद्यमान विशेषताएं

जालोर नगर राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में 25°31' उत्तरी अक्षांश एवं 73° 36' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर अरावली पहाड़ की शृंखला की तलहटी पर स्थित है जिसको 'स्वर्णगिरी' कहा जाता है। इस पहाड़ पर प्राचीन किला स्थित है। जवाई नदी इस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है जो उत्तर की तरफ सूकड़ी नदी में मिल जाती है। यह नगर राज्य राजमार्ग 31 एवं 16 के मिलान बिन्दु पर स्थित है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर से 450 किमी. की दूरी पर तथा संभागीय मुख्यालय जोधपुर नगर से लगभग 148 किमी. की दूरी पर राज्य राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के अन्य नगर बाड़मेर, पाली, सिरोही, आबूरोड़, उदयपुर, व फालना नगरों से भी यह नगर सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। बड़ी रेलवे लाइन इस नगर को जोधपुर व बाड़मेर नगरों से जोड़ती है तथा दक्षिण की तरफ भीलड़ी स्टेशन से होते हुए आबू रोड़ एवं पालनपुर नगरों को जोड़ती है। जालोर नगर रेलवे लाइन एवं कनकाचल पहाड़ के मध्य स्थित है जहां पर पुराना नगर व नई आवासीय योजनाएं, उद्योग एवं सरकारी कार्यालय स्थापित हुए हैं। वर्ष 2001 में इस नगर की जनसंख्या 44,820 थी, अनुमान है कि वर्तमान वर्ष 2011 में इसकी जनसंख्या लगभग 58,000 है। पिछले दो दशक 1981-91 व 1991-2001 में इस नगर की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण नगर के नियोजित विकास हेतु आधारभूत व जन-सुविधाओं में कमी रही है। इस नगर का पहला मास्टर प्लान वर्ष 1990 में प्रकाशित किया गया था, जिसकी अवधि वर्ष फरवरी 2011 थी। चूंकि पहले मास्टर प्लान के अनुसार पिछले 20 वर्षों में इस नगर में मुख्यतः औद्योगिक विकास ही हुआ है जबकि अन्य सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं जैसे ट्रक टर्मिनल, नये सरकारी कार्यालय भवन, व्यावसायिक केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं, बाईपास सड़क, रेलवे लाइन पर रोड़ ओवरब्रिज आदि मुख्य हैं।

2.1 जलवायु व भौगोलिक स्थिति

जालोर की जलवायु शुष्क है तथा तापमान बहुत अधिक रहता है व वर्षा कम होती है। इस नगर का अधिकतम औसत तापमान 45° से. तथा न्यूनतम तापमान सर्दियों में 6° से. दर्ज किया गया। जनवरी का महिना सर्वाधिक ठण्डा महिना तथा मई व जून सबसे गर्म महिने हैं। नगर का औसत 10 वर्षीय वर्षा का रिकॉर्ड लगभग 42 से 43 सेमी. है जबकि वर्ष 1983 में 70 सेमी. वर्षा दर्ज की गई थी तथा वर्ष 1990 में सबसे अधिक वर्षा लगभग 100 सेमी. हुई थी। वर्ष में लगभग 19 से 20 दिन बरसात होती है। मानसून काल के समय को छोड़कर आपेक्षिक आर्द्रता वर्ष पर्यन्त कम रहती है। वर्ष 1982 की अधिसूचना के अनुसार जालोर नगर पालिका का क्षेत्रफल 3830 एकड़ है। वर्ष 1982 के बाद अभी तक नगर पालिका सीमा का विस्तार नहीं किया गया है और जिसके बारे में नगर पालिका जालोर में राज्य सरकार को सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे हुए हैं। यह नगर समुद्र तल से 162 मी. की ऊंचाई पर स्थित है तथा इस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ जवाई नदी स्थित है जो उत्तर की तरफ सूकड़ी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी में वर्ष 1983 में बाढ़ आई थी और उसके पश्चात वर्ष 1990 व 2006 में भी बाढ़ आई थी। चूंकि यह नगर पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है अतः वर्ष 1983 की बाढ़ में तलहटी पर बसी हुई बस्तियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ था जो मकानों के अन्दर भी चला गया था।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

जालोर जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण-पश्चिम कोने पर गुजरात राज्य से लगते हुए $20^{\circ} 37'$ व $25^{\circ}49'$ अक्षांश एवं $70^{\circ}11'$ व $73^{\circ}5'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में बाड़मेर जिला, उत्तर पूर्व में पाली जिला, दक्षिण पूर्व में सिरोही जिला और गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला स्थित है। यह जिला समुद्र तल से 173.73 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जालोर जिले का कुल क्षेत्रफल 10566 वर्ग किमी. (राजस्थान राज्य का 3.08 प्रतिशत) है। जिले में 47.69 वर्ग किमी. नगरी क्षेत्र है। वर्ष

1949 में जोधपुर रियासत का वृहद राजस्थान के संयुक्त राज्य में विलय होने पर एक पृथक जिला जालोर बनाया गया था जो इसी प्रकार से चला आ रहा है। जिले का नाम जालोर नगर से लिया गया है जो अब जिले का मुख्यालय है। एक लोकोक्ति के अनुसार जिले का नाम क्षेत्र में प्रचूरता से पाये जाने वाले जाल वृक्ष (साल्वाडोरा पर्सीका एल) के नाम पर पड़ा है।

वर्ष 2001 में जालोर जिले की कुल जनसंख्या 14,48,940 थी जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 18,03,151 हो गई। पिछले दशक (2001–2011) में जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 26.31 प्रतिशत है जबकि जोधपुर जिले की वृद्धि दर 21.86 प्रतिशत है। वर्ष 2011 में जिले का लिंगानुपात 951 है जबकि जोधपुर जिले में 915 एवं राजस्थान में 926 है इससे यह साबित होता है कि जालोर नगर में महिलाओं की संख्या अधिक है। जालोर जिले में शिक्षण संस्थाएं भी काफी संख्या में स्थित हैं और यह राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भाग का एक प्रसिद्ध शैक्षणिक जिला है जहां पर काफी संख्या में महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सरकारी एवं निजी विद्यालय चल रहे हैं। वर्ष 2010–11 में जिले में 5 महाविद्यालय, 2 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, 106 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 313 माध्यमिक विद्यालय एवं 2561 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। वर्ष 2001 में इस जिले में साक्षरता दर 46.5 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 55.58 प्रतिशत हो गई। महिलाओं की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 27.8 थी जो वर्ष 2011 में 38.73 प्रतिशत हो गई, इससे यह साबित होता है कि इस जिले में पुरुष एवं महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने में काफी अग्रसर हैं और यह जिले की आर्थिक उन्नति के लिए भी लाभदायक है। इस जिले में फरवरी माह से नवम्बर माह तक मेलों का आयोजन किया जाता है जिनमें से 6 मेले जालोर नगर में ही आयोजित होते हैं।

जिले का बड़ा भाग शुष्क मैदानी है और जालोर-आहोर-भीनमाल, लाकावास व डोरा के नजदीक पहाड़ियां स्थित हैं। मैदानी इलाके की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 180 मी. है एवं पहाड़ियां समुद्र तल से 736 मी. तक ऊंची हैं। जिले के पश्चिमी भाग में टीले एवं रेतीले मार्ग हैं। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी लूणी की सहायक नदियां जवाई, खारी, बांदी तथा सागी इस जिले में स्थित हैं तथा ये नदियां अधिकांशतः

सूखी रहती है। जिले की जलवायु शुष्क तथा अधिकतम औसत तापमान 45° से. तथा न्यूनतम तापमान 6° से. दर्ज किया गया। जिले में 10 वर्षीय औसत वर्षा 419 मिमी. तथा न्यूनतम वर्षा 42 मिमी. दर्ज की गई वर्ष 1990 में सबसे अधिक वर्षा 994.3 मिमी. दर्ज की गई थी। जिले में खनिज सम्पदा काफी समृद्ध है जिनमें मुख्यतः फ्लोराइड व ग्रेनाइट उपलब्ध है। मुर्रम, कंकड़, बजरी व इमारती पत्थर भी काफी मात्रा में उपलब्ध है जालोर जिला ग्रेनाइट उद्योगों के लिए काफी प्रसिद्ध है और समस्त भारत वर्ष में यहां से ग्रेनाइट की स्लेब व टाइल्स पॉलिस करके भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है। जालोर जिला मुख्यालय की 40 किमी. की परिधि में लगभग सभी रंग के ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध हैं। इस जिले में ग्रेनाइट की लगभग 70 खानें कार्यरत हैं। जालोर जिले में निम्न ग्रामों में ग्रेनाइट की खाने स्थित हैं।

1. जालोर
2. नून
3. लेटा
4. पिजोपुरा
5. रानीवाड़ा
6. तवाब
7. खम्भी
8. धवला
9. बेटाला
10. नब्बी

पिजोपुरा खान का पत्थर सबसे महंगा है। इन खानों से ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक्स काट कर जालोर नगर में स्थित उद्योगों में कटिंग व पॉलिस की जाती है। जिले में फ्लोराइड भी काफी मात्रा में उपलब्ध है तथा यह खनिज इस्पात एवं अन्य उद्योगों में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है। भीनमाल तहसील के रूपसी ग्राम के आस पास संगमरमर की खाने भी उपलब्ध है। जिले का वन मध्य भारतीय मिश्रित पतझड़ी श्रेणी के हैं। वर्ष 2000 में वन क्षेत्र लगभग 53 स्क्वायर किमी. था पहाड़ियों की तलहटी पर जंगल बसे हुए हैं और यहां पर सामान्य जड़ी व झाड़ी है। आंवला, दासानी, गांगन झाड़बेर इत्यादि वनों में उगते हैं। जिले के वनों में पाये जाने वाले मुख्य जंगली जन्तुओं में काले रीछ, तेंदुआ, सियार, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, चिंकारा तथा नीलगाय

उपलब्ध है। जिले में सामान्य पक्षी घरेलू गोरैया, बुलबुल, बया, तोता, कोयल, गिद्ध, चील और मुर्गा उपलब्ध है। कोबरा भी जंगलों में मिल जाते हैं। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.72 प्रतिशत भूमि उपजाऊ है तथा इस जिले की मुख्य फसलें गेहूं बाजरा, राई, सरसों, अरण्डी हैं। ईसबगोल की खेती भी इस जिले में काफी मात्रा में की जाती है।

जालोर जिला धार्मिक पर्यटक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जालोर नगर व जिले में स्थित अन्य नगरों तथा ग्रामों में प्राचीन धार्मिक स्थल एवं किले निर्मित है जहां पर काफी संख्या में पर्यटक रोजाना आते हैं। जिले में निम्न पर्यटक स्थल उपलब्ध हैं—

1. जालोर नगर की पश्चिमी दिशा में 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित जालोर दुर्ग।
2. किले में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, बावड़ियां, मानसिंह का महल, देवी जोगमाया का मंदिर, जैन मंदिर, आशापुरी मंदिर, मलिक शाह की दरगाह आदि।
3. जालोर नगर में स्थित तोपखाना, जो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। राठोड़ों के शासनकाल में इसमें तोपें रखी जाती थी इस कारण इसका नाम तोपखाना रखा गया और अब यह पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर है।
4. जालोर नगर के पश्चिम की ओर कलशाचल पर्वत पर 646 मी. ऊंचाई पर सिरे मंदिर स्थित है इस मंदिर में भगवान शंकर का रतनेश्वर मंदिर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है और यहां की एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है यहां पर श्रद्धालुओं व पर्यटकों हेतु पानी पीने की सुविधा व ठहरने की धर्मशाला आदि स्थित है।
5. जालोर नगर से 65 किमी. की दूरी पर स्थित कोट कास्ता का किला है जो सन् 1804 में निर्मित हुआ था। इस किले में नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। वर्तमान में प्राचीन तीन मंजिला राजमहल बुर्ज तथा विशाल प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र है।

6. जालोर नगर से 54 किमी. की दूरी पर उत्तर की ओर जालोर—जोधपुर सड़क पर भादराजून किला स्थित है। यह भादरा गांव महाभारत के महानायक वीर अर्जुन तथा उसकी पत्नी सुभद्रा के नाम पर बसा हुआ है। सुभद्रा—अर्जुन कालान्तर में बिगड़ कर भादराजुन हो गया, कहते हैं कि यहीं अर्जुन तथा सुभद्रा का विवाह हुआ था।
7. जालोर नगर से दक्षिण की तरफ 105 किमी. की दूरी पर रानीवाड़ा कलां कस्बे के पूर्व की तरफ 1220 मी. की ऊंचाई पर सुन्धा पर्वत पर चामुण्डा देवी का विख्यात मंदिर स्थित है और यहां पर हर वर्ष नवरात्रा पर्व पर गुजरात एवं आस पास से काफी पर्यटक आते हैं।
8. जालोर नगर से 20 किमी. की दूरी पर स्थित आहोर ग्राम में 52 जिनालय जैन मंदिर।
9. जालोर से लगभग 20 किमी. की दूरी पर उत्तर की ओर रेलवे लाइन पर स्थित बिशनगढ़ ग्राम से सायला मार्ग पर 5 किमी. की दूरी पर माण्डवला ग्राम में जहाज मंदिर स्थित है जहां पर शिवजी की भव्य मूर्ति भी स्थित है। सम्पूर्ण भारत में अपनी तरह का यह एक मात्र जहाज मंदिर है।
10. बाकरा रोड़ पर स्थित व जालोर नगर से 30 किमी. की दूरी पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर स्थित है। यह एक जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष यहां एक विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है।

जालोर जिले में पिछले 30 वर्षों में ग्रेनाइट उद्योग काफी संख्या में स्थापित हुए हैं जिनमें से लगभग 500 युनिट जालोर नगर में ही स्थित है। इस औद्योगिक विकास की तीव्र गति के फलस्वरूप जिले में मोटर वाहनों की काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में जालोर जिले में 2396 पंजीकृत मोटर वाहन थे जो वर्ष 2001 में 28363 हो गये और वर्तमान में लगभग 73000 वाहन पंजीकृत है। इससे यह साबित होता है कि मोटर वाहनों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और उसके अनुपात में मुख्य सड़कों की चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुई है। जिले में बड़ी रेल लाइन उपलब्ध है जो जालोर नगर को

उत्तर की तरफ समदड़ी, जोधपुर, बाड़मेर व दक्षिण की तरफ भीनमाल होते हुए रानीवाड़ा कलां को जोड़ती है तथा यहां से यह रेलवे लाइन भीलड़ी तथा पालनपुर होकर अहमदाबाद तक जाती है। बड़ी रेल लाइन होने से रेल यातायात में भी वृद्धि हुई है क्योंकि यहां से ग्रेनाइट की टाइल्स व पोलिश स्लेब देश के अन्य नगरों में रेल द्वारा भी भेजी जाती है।

जालोर जिले में स्थित नगरों एवं ग्रामों के लिए गुजरात से नर्मदा नहर का पानी लाने की योजना का क्रियान्वयन भी चालू है। नर्मदा नहर जालोर जिले के सांचोर नगर से 8 किमी. की दूरी पर स्थित शिलू ग्राम से शुरू होकर उत्तर की तरफ सूकड़ी नदी को पार करके बाड़मेर जिले में जायेगी। नर्मदा नहर से पीने का पानी उपलब्ध करवाने की सुविधा जालोर, सांचोर एवं भीनमाल नगरों को तथा 697 गांवों को देने का प्रावधान है। इस योजना के पूरा होने पर नगरों में 100 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति तथा ग्रामों में 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति जल वितरण किया जा सकेगा।

2.3 ऐतिहासिक

जालोर नगर का नाम महर्षि जवाली के नाम पर बना है क्योंकि यहां पर महर्षि जवाली की गुफा स्थित है। जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर था, जैसे जैसे समय बीतता गया कंचनगिरी एवं स्वर्णगिरी पहाड़ों को भी जालोर के नाम से जाना जाने लगा। 8वीं सदी में यह एक उन्नत नगर था और उस समय वत्सा राजा यहां के शासक होते थे। 12वीं शताब्दी के अन्त में परमार जाति के लोगों ने यहां पर शासन किया। इतिहासकारों का मानना है कि जालोर किला परमार शासकों ने बनवाया था क्योंकि किले में स्थित एक पत्थर के शिलालेख पर वर्ष 1238 ई. में इसके बारे में लिखा हुआ है। सन् 1238 में अमूट से उमरकोट तक परमार राजा का शासन था। 1164 ई. के बाद कोरतीपाल ने इस नगर पर शासन किया था। 1308 ई. में लम्बी लड़ाई के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर शासन किया था।

15वीं इस्वी में राजा मालदेव ने जालोर किले पर शासन किया और अकबर बादशाह के शासन काल में अब्दुल रहीम खानखाना ने गज़नी खान से इसको हथिया लिया। सन्

1608 में जहांगीर बादशाह ने किले के चारों तरफ एक ऊंची दीवार का निर्माण करवाया और औरंगजेब बादशाह की मृत्यु के पश्चात जालोर नगर जोधपुर राज्य का एक स्थायी अंग बन गया। दुश्मनों के आक्रमण खत्म होने से नगर का विकास किले के नीचे होना शुरू हुआ था। 17वीं शताब्दी में जनसुविधाओं के भवन निर्माण हुए और नगर के दरवाजों का निर्माण हुआ। मोहम्मद पोल एवं कचहरी गेट के निर्माण करवाये गये। 19वीं शताब्दी तक नगर के विकास की गति धीमी थी लेकिन वर्ष 1928 में यहां पर नेरो गेज रेलवे लाइन आने से विकास की गति तेज हो गई 1947 में देश की आजादी के बाद यहां पर काफी संख्या में जिला स्तरीय सरकारी कार्यालय, नगर पालिका भवन, टाउन हॉल आदि निर्मित हुए और इनके साथ साथ आवासीय बस्तियां भी विकसित हुईं। जिला कलक्टर कार्यालय का भवन वर्ष 1950 में तथा नगर पालिका भवन एवं टाउन हॉल वर्ष 1956 में निर्मित हुए थे। वर्ष 1962-63 में यहां एक कॉलेज का निर्माण करवाया गया और राज्य राजमार्ग 16 नगर के उत्तर की तरफ वगोड़ा सड़क पर 1965 में पहली ग्रेनाइट उद्योग की इकाई स्थापित हुई जब समस्त कार्य हाथों से किया जाता था। वर्ष 1971 में ग्रेनाइट उद्योगों की स्थापना का कार्य राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता था। वर्ष 1987 में ग्रेनाइट उद्योगों के विकास में तीव्र गति लाने के लिए निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित किया गया और उसके पश्चात अभी तक लगभग 500 औद्योगिक इकाईयां जालोर नगर में विकसित हो चुकी हैं। रीको ने सबसे पहले बगोड़ा रोड़ पर वर्ष 1983 में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जिसमें 47 भूखण्ड प्रस्तावित थे। इसके पश्चात वर्ष 1989 में 103 भूखण्डों का क्षेत्र विकसित किया। तृतीय चरण नगर के दक्षिण की तरफ भीनमाल सड़क से लगता हुआ विकसित किया जिसमें लगभग 275 भूखण्ड प्रस्तावित किये गये। इस प्रकार पिछले 30 वर्षों में यहां पर काफी संख्या में ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां विकसित हो चुकी हैं और वर्तमान में इन ग्रेनाइट फैक्ट्रियों की स्लरी का निष्पादन सड़क के किनारे ही किया जा रहा है क्योंकि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्लरी के निष्पादन के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया गया। वर्तमान में इन ग्रेनाइट उद्योगों में लगभग 7.2 करोड़ लीटर वार्षिक पानी की आवश्यकता होती है। और इस कारण जालोर जिले में गत वर्षों में कृषि उत्पादन में कमी आई है क्योंकि अधिकतर पानी ग्रेनाइट उद्योगों में काम लिया जाता है। वर्तमान में इन ग्रेनाइट उद्योगों से भारतवर्ष का 95 प्रतिशत ग्रेनाइट पत्थर विदेशों में भेजा जाता

है। वर्ष 1990 में आहोर सड़क पर थोक फल एवं सब्जी मण्डी तथा बगोड़ा रोड़ पर नया बस स्टेण्ड निर्मित किये गये पिछले 20 वर्षों में पहले मास्टर प्लान बनाने के उपरान्त यहां की नगर पालिका या राजस्थान आवासन मण्डल ने कोई भी आवासीय या वाणिज्यिक योजना का विकास नहीं किया है और अधिकतर आवासीय मकान कृषि भूमि पर छितरे रूप में अनियोजित ढंग से विकसित हो रहे हैं। जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पिछले 20 वर्षों में एक औद्योगिक शिक्षण केन्द्र कुछ निजी शैक्षणिक संस्थाएं, विधि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुए हैं। मुख्य सड़कों के किनारे कुछ बड़े शोरूम व दो होटल भी निर्मित हुई है। धवाला सड़क पर छात्रावास एवं एक महाविद्यालय निजी भूमि पर निर्मित हुए हैं। सीवरेज योजना का क्रियान्वयन हो चुका है और पूरे नगर में सीवर लाइन डाल दी गई है तथा सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठोस कचरा के निष्पादन के लिए अभी तक कोई स्थान चिह्नित नहीं किया है हालांकि नगर पालिका जालोर ने भूमि आवंटन करने के लिए जिला कलक्टर जालोर को प्रस्ताव भेजा हुआ है। वर्तमान में ठोस कचरा सड़कों के किनारे तथा नदी के समीप डाला जा रहा है जो उचित नहीं है। नगर के घरों के पानी के निष्पादन के लिए भी अभी तक कोई योजना नहीं बनी है और गंदा पानी सड़कों पर ही भरा रहता है। मुख्यतः बस स्टेण्ड के सामने वाली सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ रहता है। पुराने नगर में पक्की सीमेन्ट की सड़कें 12 से 15 फीट की चौड़ी बनी हुई है जिसके दोनों किनारों पर खुली नालियां स्थित है जिनमें घरों का पानी आता है। इस नगर में वर्ष 1983, 1990 व 2006 में जवाई नदी में बाढ़ आई थी और पुराने नगर में जो पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ है उसमें 5 से 6 फीट ऊंचाई तक बारिश का पानी आ गया था और घरों में भी पानी भर गया था। किले पर जाने के लिए भी अभी तक कोई पक्की सड़क या सुगम सीढ़ियां निर्मित नहीं की गई है जिससे पर्यटकों को किले पर जाने के लिए परेशानी होती है, हालांकि वर्तमान में हितधारकों की बैठक में यह बताया गया कि स्थानीय भवन एवं पथ विभाग द्वारा सम्पर्क सड़क के लिए वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं और इनके स्वीकृत होने के पश्चात उस पर कार्य शुरू हो पायेगा। नगर में जल वितरण के लिए नर्मदा नहर का पानी लाने के लिए योजना का कार्य चालू है और यह आशा की जाती है कि योजना के क्रियान्वित होने के पश्चात नगर वासियों को लगभग 100 लीटर प्रति दिन प्रति

व्यक्ति जल उपलब्ध हो सकेगा। विगत 20 वर्षों में इस नगर में यातायात की समस्या काफी जटिल हो गई है लेकिन अभी तक ट्रक टर्मिनल का निर्माण नहीं किया गया है और जो स्थान ट्रक टर्मिनल के लिए पहले मास्टर प्लान में आहोर सड़क पर सर्किट हाउस के सामने प्रस्तावित किया था वहां पर एक छात्रावास का निर्माण कर दिया है। नगर में मुख्य चौराहों का विकास कर दिया गया है तथा ऑटो स्टेण्ड व टेक्सी स्टेण्ड के लिए स्थान निर्धारित हैं। नये बस स्टेण्ड के सामने वाली सड़क पर काफी अधिक यातायात रहता है और भारी वाहन तथा अन्य छोटे वाहन सड़क के मार्गाधिकार में ही खड़े रहते हैं तथा इस सड़क पर पार्किंग के लिए सुविधा विकसित नहीं की गई है हालांकि इस सड़क पर पेट्रोल पम्प के सामने अंबेडकर पार्क की भूमि में निजी टेक्सियों के लिए पार्किंग स्थल नगर पालिका द्वारा विकसित किया गया है। जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है लेकिन सड़क पर अभी भी कई वाहन सड़क के मार्गाधिकार में खड़े रहते हैं। पिछले 20 वर्षों में खेल के मैदान, उद्यानों का विकास नहीं हुआ है, हालांकि महाविद्यालय परिसर में खेल का मैदान स्थित है।


2.4 जनांकिकी


जालोर नगर की जनसंख्या तीव्र गति से विकसित हो रही है। वर्ष 1991 में यहाँ की जनसंख्या 33650 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर करीब 44830 हो गयी। अनुमानतः वर्ष 2010 में इसकी जनसंख्या 58,000 के लगभग होने का अनुमान है। 1981-91 व 1991-2001 के दशकों में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 39.6 व 33.22 प्रतिशत रही है। वर्ष 1981 के बाद इस नगर में काफी संख्या में ग्रेनाइट के उद्योग स्थापित हुए हैं जिनके कारण इस जिले के लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है और इसी कारण अर्द्ध-सहायक आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है। इससे नगर की जनसंख्या की वृद्धि की गति काफी अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि दर निम्न तालिका में दर्शाई है।

तालिका 1 : जनसंख्या वृद्धि दर जालोर (1901 – 2001)

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर	वृद्धि दर प्रतिशत
1901	7443	-	-
1911	7624	+181	+2.43
1921	6270	-1354	-17.76
1931	7114	+844	+13.46
1941	7967	+835	+11.99
1951	9387	+1420	+17.82
1961	12882	+3495	+37.23
1971	15478	+2596	+20.15
1981	24100	+8622	+55.70
1991	33650	+9550	+39.63
2001	44830	+11180	33.22

स्रोत : जनगणना भारत सरकार





2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जालोर नगर की कार्यशील जनसंख्या 26.2 प्रतिशत थी। नगर की व्यावसायिक संरचना से स्पष्ट होता है कि यह मुख्य रूप में एक व्यावसायिक, प्रशासनिक एवं औद्योगिक नगर है। क्योंकि वर्ष 1991 में 16.5 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या वाणिज्य एवं व्यापार गतिविधियां व 15 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या उद्योगों में कार्यरत थी। वर्ष 2001 में उद्योगों में कार्यशील जनसंख्या 18.0 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 में अन्य सेवा में कार्यशील जनसंख्या 31.8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में 42.7 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2001 में 30.2 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या थी।

तालिका 2 : व्यावसायिक संरचना, जालोर 1971-1981-1991-2001

क्र. सं.	व्यवसाय	1971		1981		1991		2001	
		श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
1	कृषि पशुपालन, खनन आदि	1234	28.11	1412	21.13	2137	24.2	1058	7.8
2	उद्योग	564	12.85	1128	16.88	1234	15.0	2442	18.0
3	निर्माण कार्य	174	3.96	383	5.73	557	6.3	950	7.0
4	वाणिज्य एवं व्यापार	800	18.22	1241	18.57	1459	16.5	2171	16.0
5	यातायात	172	3.92	268	4.01	548	6.2	1154	8.5
6	अन्य सेवायें	1446	39.94	2250	33.68	2813	31.8	5795	42.7
	योग	4390	100	6682	100	8832	100	13570	100

स्रोत : जनगणना भारत सरकार

2.6 विद्यमान भू-उपयोग

जालोर नगर पालिका की सीमा वर्ष 1982 में निर्धारित की गई थी और इसके पश्चात इस सीमा का विस्तार नहीं हुआ है। वर्तमान में नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 3830 एकड़ है जबकि नगर का वर्तमान क्षेत्र 1778 एकड़ (720 हे.) है जिसमें से 1691.8 एकड़ (685 हे.) विकसित क्षेत्र है एवं शेष भूमि जलाशय एवं सुरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत आती है। नगर के वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र का घनत्व 32 व्यक्ति प्रति एकड़ (80.5 हे.) है। वर्तमान में नगर के कुल विकसित क्षेत्र की 42.3 प्रतिशत भूमि (716 एकड़ या 290 हैक्टेयर) आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आती है तथा शेष भूमि अन्य भू-उपयोगों के अन्तर्गत आती है।

आवासीय के पश्चात् परिसंचरण के अन्तर्गत 370 एकड़ (150 हे.) भूमि एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 232.2 एकड़ (94 हे.) भूमि विकसित है। चूंकि यह नगर औद्योगिक विकास में काफी अग्रसर है अतः औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत 227 एकड़ (92 हे.) भूमि काम में ली जा रही है जो कुल विकसित क्षेत्र का 13.4 प्रतिशत है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत 51.8 एकड़ (21 हे.) अर्थात् 3.1 प्रतिशत भूमि उपयोग में आती है। पिछले 20 वर्षों में इस नगर में नये उद्यान, खेल के मैदान आदि विकसित नहीं हुए हैं, इस कारण इस उपयोग के अन्तर्गत केवल 59.2 एकड़ (24 हे.) अर्थात् 3.5 प्रतिशत भूमि ही उपयोग में आ रही है। पहले मास्टर प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2011 के लिए जो भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये थे उनकी तुलना में वास्तविक भू-उपयोग सर्वे के अनुसार विद्यमान भू उपयोग निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं। इसी तालिका में वर्ष 1988 के विद्यमान भू-उपयोग का विवरण भी दिया गया है।

तालिका- 3

विद्यमान भू-उपयोग प्रवृत्ति, जालोर- वर्ष 1988 एवं 2011

क्र. सं.	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	1988		विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	2011		विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
		क्षेत्रफल (एकड़)	क्षेत्रफल (हे.)		क्षेत्रफल (एकड़)	क्षेत्रफल (हे.)	
1	आवासीय	415	168.0	52.86	716.3	290.0	42.3
2	व्यावसायिक	15	6.0	1.92	51.8	21.0	3.1
3	औद्योगिक	36	14.6	4.58	227.2	92.0	13.4
4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी	24	9.7	3.06	34.6	14.0	2.1
5	मनोरंजन	15	6.0	1.92	59.2	24.0	3.5
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	160	64.7	20.38	232.2	94.0	13.7
7	परिसंचरण	120	48.5	15.28	370.5	150.0	21.9
	योग विकसित क्षेत्र	785	317.5	100	1691.8	685.0	100
8	खुली भूमि	95	38.5	—	—	—	—
9	वन भूमि	—	—	—	24.7	100	—
10	जलाशय	—	—	—	61.5	25.0	—
	योग	880	356.0		1778	720.0	—

स्रोत-प्रथम मास्टर प्लान 1988-2011 एवं सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण।

तालिका-4

प्रथम मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू उपयोग 2011 व विद्यमान भू उपयोग 2011

क्र. सं.	भू उपयोग	वर्ष 2011 में प्रस्तावित			विद्यमान भू उपयोग 2011		
		क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हे. में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हे. में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	1130	452.0	47.08	716.3	290.0	42.3
2	व्यावसायिक	130	52.0	5.42	51.8	21.0	3.1
3	औद्योगिक	300	120.0	12.50	227.0	92.0	13.4
4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी	40	16.0	1.67	34.6	14.0	2.1
5	मनोरंजन	340	136.0	5.42	59.2	24.0	3.5
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	130	52.0	14.46	232.2	94.0	13.7
7	परिसंचरण	330	132.0	13.75	370.0	150.0	21.9
	कुल विकसित क्षेत्र	2400	960.0	100.00	1691.8	685.0	100

स्रोत : प्रथम मास्टर प्लान 1988-2011 एवं सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

2.6 (1) आवासीय

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 33650 व्यक्ति थी जो वर्ष 2001 में 44830 हो गई तथा वर्तमान वर्ष 2011 में लगभग 58,000 होने का अनुमान है हालांकि अभी जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर में वर्ष 1991 में कुल परिवारों की संख्या लगभग 6229 थी जो वर्ष 2001 में 8073 हो गई। वर्ष 2011 के विद्यमान भू उपयोग सर्वे के अनुसार आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 716.3 एकड़ (290 हे.) भूमि आती है जो विकसित क्षेत्र का 42.3 प्रतिशत तथा नगरीयकृत क्षेत्र का 40.2 प्रतिशत है। वर्ष 2011 में आवासीय घनत्व लगभग 80 व्यक्ति प्रति एकड़ अर्थात् 200 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

जालोर नगर के पुराने नगर में, जो पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ है, अधिकांश मकान पक्के एवं दो से तीन मंजिल के बने हुए हैं तथा मुख्य सड़कों पर जो मकान स्थित है उनके भू-मंजिल पर दुकानें चल रही हैं। 2001 में पुराने नगर का आवासीय घनत्व काफी अधिक है और इस पुराने नगर में जन सुविधाएं जैसे पार्क, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का अभाव है।

प्राचीन नगर के बाहर नये क्षेत्रों में नगर पालिका जालोर एवं राजस्थान आवासन मण्डल ने पिछले 20 वर्षों में कोई भी आवासीय योजना प्रथम मास्टर प्लान के अनुसार विकसित नहीं की है। निजी खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि में आवासीय योजनाएं विकसित की है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आहोर से भीनमाल जाने वाली सड़क के मध्य आवासीय योजनाएं निजी कृषि भूमि पर विकसित हुई है तथा इसके अतिरिक्त सूंदला तालाब के उत्तर की ओर एफसीआई गोदाम जाने वाली सड़क व महेशपुरा जाने वाली सड़क के सहारे-सहारे आवासीय मकान छितरे रूप में विकसित हो रहे हैं, तीसरा आवासीय क्षेत्र बगोड़ा जाने वाली सड़क के पश्चिम की तरफ विकसित हुआ है। इस नगर में दो नियोजित तरीके से निजी आवासीय योजनाएं विकसित हुई है उनमें से एक सिरे मंदिर सड़क पर राजपुष्प नगर एवं दूसरी बस्ती बाड़मेर जाने वाली सड़क पर श्रीराम कॉलोनी के नाम से विकसित हुई है। वर्तमान में रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ एवं सर्किट हाउस के दक्षिण की तरफ भी आवासीय बस्तियां निजी कृषि भूमि में विकसित हो रही है जहां पर पक्की सड़कें, नालियां तथा अन्य नगरीय सुविधाएं विकसित नहीं की जा रही है।

वर्तमान में जालोर नगर में 6 अधिसूचित कच्ची बस्तियां हैं जिनका विकास करना शेष है। पूर्व में जो कच्ची बस्तियां थी उनमें लगभग 80 प्रतिशत मकान पक्के निर्मित हैं। भीनमाल रोड़ पर पहाड़ की तलहटी के नीचे जो कच्ची बस्तियां पूर्व में बसी थी उनमें अधिकांश मकान पक्के बन चुके हैं एवं सड़कें भी पक्की हैं। इन कच्ची बस्तियों के मकान मालिकों ने सामने की तरफ अपने मकानों में दुकानें बना रखी है।

2.6 (2) व्यावसायिक

जालोर नगर औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है और इस कारण यहां पर बड़ी एवं छोटी व्यावसायिक दुकानें भी विकसित हुई हैं। वर्तमान में 1500 खुदरा दुकानें विभिन्न बाजारों में स्थित हैं। इनमें से 170 दुकानें खाने पीने की सामग्री के लिए हैं तथा 1330 दुकानें परचूनी, दवाईयां, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटर पार्ट्स, मोटर साइकिल की हैं तथा लगभग 10 दुकानों में क्राफ्ट का सामान मिलता है। पुराने नगर में तिलक गेट से सूरजपोल गेट तक तथा तिलक गेट से वीरम देव चौक तक जाने वाली सड़कों पर दुकानें स्थित है। वीरम देव चौक के चारों ओर कपड़ा बाजार स्थित है। चिकित्सालय चौराहे से तिलक गेट होते हुए बगोड़ा जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ शोरूम तथा छोटी दुकानें स्थित है और इसी सड़क पर पेट्रोल पम्प भी स्थित है।

चिकित्सालय चौराहे से जिला कलक्टर कार्यालय जाने वाली सड़क पर भी खाने पीने की दुकानें व दवाईयों की दुकानें स्थित है। आहोर से आने वाली सड़क जो भीनमाल सड़क को मिलाती है उसके दोनों तरफ भी आवासीय मकानों में दुकानें निर्मित है। रेलवे फाटक से सर्किट हाउस तक की सड़क के दोनों ओर भी दुकानें निर्मित हो रही है, आहोर सड़क पर होण्डा का शोरूम व फल एवं सब्जी मण्डी के सामने वाली सड़क पर रेलवे फाटक तक छितरे रूप में सड़क के सहारे दुकानें निर्मित हो चुकी है। भीनमाल सड़क पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है वहां पर भी भीनमाल सड़क के दोनों तरफ खाने पीने की दुकानें, मोटर पार्ट्स व रिपेयर की दुकानें स्थित हैं।

चूंकि जालोर नगर में काफी संख्या में पर्यटक व ग्रेनाइट्स से संबंधित व्यापारी काफी संख्या में प्रतिदिन आते हैं। इस नगर में 4 होटल स्थित है जिनमें से एक 60 कमरों की अच्छी होटल "गीतको" के नाम से बगोड़ा सड़क पर सिरे मंदिर जाने वाली सड़क के सामने तथा दूसरी 30 कमरों की छोटी होटल नये बस स्टेण्ड के सामने, 20 कमरों की

छोटी होटल जिला कलक्टर कार्यालय के सामने तथा एक बड़ी होटल वाटिका होटल के नाम से भीनमाल सड़क पर स्थित है।

जालोर नगर में थोक फल एवं सब्जी मण्डी का निर्माण वर्ष 1990 में आहोर सड़क पर रेलवे फाटक से पहले 34 बीघा भूमि में किया जा चुका है और इस मण्डी में 40 थोक व्यापारियों की दुकानें, 6 बड़ी दुकानें मय प्लेटफार्म के, 5 खुदरा दुकानें तथा 6 बड़ी दुकानें मय गोदाम के स्थित है। इस मण्डी के पश्चिमी किनारे पर 8 बीघा क्षेत्र में गोदामों का निर्माण भी किया गया है। रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भारतीय खाद्य निगम के गोदाम स्थित हैं। पहले मास्टर प्लान में रेलवे लाइन व एफसीआई गोदाम के पश्चिम की तरफ गोदामों के लिए भूमि सुरक्षित की गई थी लेकिन वर्तमान में इस भूमि पर आवासीय बस्ती बस चुकी है। नगर में 5 पेट्रोल पम्प, 12 बैंक, एक गैस गोदाम, एक सिनेमा हॉल (वर्तमान में बंद) है।

2.6 (3) औद्योगिक

वर्ष 1991 में औद्योगिक श्रमिकों की कुल संख्या 1234 अर्थात् कुल कार्यशील जनसंख्या की 15 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 2442 हो गई थी। अतः वर्ष 1991 से 2001 में 1238 श्रमिकों की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का कारण ग्रेनाइट पर आधारित उद्योगों का 1991–2001 के दशक में काफी वृद्धि होने से श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वप्रथम वर्ष 1965 में पहली ग्रेनाइट उद्योग की इकाई स्थापित की गई थी जिसमें ग्रेनाइट पत्थर की कटाई का कार्य हाथों द्वारा होता था। वर्ष 1971 में ग्रेनाइट उद्योग के विकास का कार्य राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम द्वारा संचालन किया गया। वर्ष 1987 में इस उद्योग में निजी उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष 1989 तक जालोर नगर में लगभग 500 छोटे एवं मध्यम प्रकार के ग्रेनाइट उद्योग स्थापित हो चुके थे और इस प्रकार पिछले 30 वर्षों में इस उद्योग में काफी अधिक वृद्धि हुई है और अब वर्तमान में यह राजस्थान प्रदेश की ग्रेनाइट राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है केवल जालोर जिले में ही 206 ग्रेनाइट की खाने लीज

पर दे रखी है। विभिन्न साइज के स्लेब एवं टाइल काटकर एवं पॉलिस करके पूरे भारत वर्ष तथा दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) ने जालोर नगर में तीन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हुए हैं। जालोर नगर के उत्तर की तरफ बगोड़ा रोड़ के दोनों तरफ प्रथम एवं द्वितीय चरण वर्ष 1983 व 1989 में स्थापित किए थे जिनका कुल क्षेत्रफल 40.76 एकड़ है और उनमें 150 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध है और वर्तमान में समस्त भूखण्डों में ग्रेनाइट उद्योग स्थापित हैं। तीसरे चरण का औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1992-93 में नगर के दक्षिण की तरफ राज्य राजमार्ग 31 जो भीनमाल नगर को जाता है उससे लगता हुआ पूर्व की तरफ 90.7 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया है और इस क्षेत्र में 289 ग्रेनाइट उद्योग स्थापित है।

इस क्षेत्र में गैस का गोदाम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. का 32 केवी. सब स्टेशन, खुदरा दुकानें आदि स्थित हैं। चूंकि वर्तमान में तीनों चरण के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध नहीं है इस कारण उद्योगपति भीनमाल सड़क व बगोड़ा जाने वाली सड़क पर कृषि भूमि खरीदकर उनमें ग्रेनाइट उद्योग की कटिंग मशीन छितरे रूप से निर्मित कर रहे हैं और उससे इस क्षेत्र का अनियंत्रित औद्योगिक विकास हो रहा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, पानी की समस्या, ग्रेनाइट स्लरी के निष्पादन की समस्या आदि पनप रही है। औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) ने चौथे चरण के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, भीनमाल सड़क पर लगभग 20 किमी. की दूरी पर स्थित बगरा रेलवे स्टेशन के पास 900 बीघा भूमि में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई।

ग्रेनाइट उद्योगों के अतिरिक्त जालोर नगर में अन्य छोटे उद्योग भी कार्यरत हैं जैसे कृषि यंत्र बनाने के कारखाने, प्रिन्टिंग प्रेस, आरा मशीन, आईस फैक्ट्री, तेल मिल, सीमेन्ट की जाली बनाना, लोहे के पाइप बनाना इत्यादि। ये समस्त छोटे उद्योग आवासीय क्षेत्रों के आस पास स्थापित है और इनसे प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट के निष्पादन

तथा यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ईकाइयों की सूची निम्न तालिका संख्या 5 में दर्शायी गई हैं।

तालिका-5
औद्योगिक संरचना, जालोर-2011

क्र.सं.	उद्योगों का प्रकार	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	कार्यरत कामगारों की संख्या
1	ग्रेनाइट उद्योग	391	2350
2	कृषि यंत्र उद्योग	15	60
3	प्रिन्टिंग	6	20
4	बर्फ उद्योग	4	15
5	इंजिनियरिंग उद्योग	15	100
6	तेल मिल	2	6
7	आरा मशीन	5	15
8	सीमेन्ट जाली एवं पाइप उद्योग	3	10
9	लोहा एवं इस्पात उद्योग	2	6
	योग	443	2582

स्रोत : शीको द्वारा दी गई सूचनाएं एवं सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

2.6. (4) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

चूंकि जालोर नगर जिला मुख्यालय है, अतः इस नगर में जिला स्तर के कई सरकारी कार्यालय स्थापित हैं जिनमें जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कारागृह, जिला रसद अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला आर्युवेदिक अधिकारी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी, तहसील

मुख्यालय कार्यालय आदि मुख्य है इनके अतिरिक्त जलदाय विभाग, भवन एवं पथ विभाग, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय तथा अन्य विभागों के सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं। रीको, राजस्थान औद्योगिक खनिज विभाग, पशु पालन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, वन संरक्षक कृषि, सिंचाई, राज. राज्य पथ परिवहन निगम लि., राज्य बीमा विभाग, खनिज विभाग, सहकारी समिति, जिला परिवहन, जिला उद्योग केन्द्र, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सर्व शिक्षा विभाग, नगर पालिका जालोर के कार्यालय स्थित हैं। भारत सरकार के आयकर विभाग का कार्यालय भी इस नगर में स्थित है। दूरदर्शन, भारत संचार निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार के अधिकांश कार्यालय जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में ही स्थित है जबकि जलदाय विभाग रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर, विद्युत विभाग के कार्यालय आहोर से आने वाली सड़क पर तथा भवन एवं पथ विभाग के कार्यालय, सूरजपोल से चिकित्सालय आने वाली रोड़ पर स्थित है। ये सभी कार्यालय सरकारी भवनों में कार्यरत है तथा रीको खनिज विभाग एवं अन्य कार्यालय भी सरकारी भवनों में कार्यरत हैं। पंचायत समिति का कार्यालय, जलदाय विभाग का कार्यालय बगोड़ा सड़क पर बस स्टेण्ड के पास स्थित जिला परिवहन अधिकारी का कार्यालय बाईपास सड़क पर सूंदला तालाब के पश्चिम की तरफ स्थित है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, ड्राइविंग ट्रेक व पुलिस थाना भीनमाल सड़क पर स्थित है। शिक्षा विभाग के कार्यालय स्टेडियम के पश्चिम में स्थित है। पुलिस लाइन आहोर से जिला कलक्टर कार्यालय जाने वाली सड़क पर स्थित है।

तालिका – 6
सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, जालोर-2011

क्र.सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार के कार्यालय	4	110
2	राज्य सरकार के कार्यालय	87	1230
3	नगर पालिका कार्यालय	1	30
4	अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	4	200
	योग	96	1570

स्रोत: सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण एवं जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचनाएं

2.6 (5) आमोद-प्रमोद

जालोर नगर में पानी की उपलब्धता की कमी के कारण नगर पालिका जालोर द्वारा पिछले 20 से 30 वर्षों में एक भी पब्लिक पार्क विकसित नहीं किया गया है। वर्तमान में जालोर नगर में निम्न छोटे आकार के पार्क स्थित हैं –

1. बापू नगर मंदिर पार्क, पुराना नगर
2. सूरजपोल पार्क
3. सोनगरा बाल उद्यान (वीरमदेव पार्क), डाक बंगले के पास
4. नगर पालिका परिसर के सामने
5. तिलक गेट के सामने

उपरोक्त पार्कों के अतिरिक्त छात्राओं के महाविद्यालय परिसर से लगता हुआ खेल का मैदान व स्टेडियम स्थित है। बगोड़ा रोड़ पर पुराने बस स्टेण्ड व पेट्रोल पम्प के सामने अम्बेडकर पार्क स्थित है लेकिन वर्तमान में इस पार्क में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है केवल चार दीवारी बनी हुई है और डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित है तथा इस पार्क

की भूमि पर टेक्सी स्टेण्ड नगर पालिका द्वारा किराये पर दिया हुआ है। सूंदला तालाब जो नगर के बीच में स्थित है उसके किनारों पर आश्रम व मंदिर बने हुए हैं लेकिन इसकी पाल के ऊपर अभी तक नगर पालिका ने पार्क विकसित नहीं किया है जैसा कि पहले मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया गया था।

भीनमाल रोड़ पर एक नर्सरी एवं वन विभाग की भूमि खुले स्थान के रूप में स्थित है रीको द्वारा भीनमाल सड़क पर तीसरे चरण के औद्योगिक क्षेत्र में पार्क के लिए जो भूमि प्रस्तावित थी उसमें भी अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और भूमि के चारों ओर दीवार बनी हुई है तथा इसमें वृक्षारोपण भी नहीं किया गया है। भीनमाल सड़क एवं रीको के औद्योगिक इकाइयों के मध्य खुला स्थान वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित किया हुआ है जिसकी तारबंदी कर दी गई है और कुछ जगह पर वृक्षारोपण भी किया हुआ है। वर्तमान में वर्ष 2011 के भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 59.2 एकड़ भूमि (विकसित क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत) आमोद प्रमोद एवं खुले स्थानों के लिए उपलब्ध है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 2011 में 232.2 एकड़ भूमि विकसित क्षेत्र है जो कि नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 13.7 प्रतिशत है जबकि पहले मास्टर प्लान में इस भू-उपयोग हेतु 340 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई थी। इससे यह साबित होता है कि गत 20 वर्षों में सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ एवं रेलवे लाइन से लगता हुआ क्षेत्र जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित किया था वह विकसित नहीं हुआ है और वर्तमान में इस क्षेत्र में छितरे रूप से आवासीय मकान बन चुके हैं। पिछले 20 वर्षों में निजी संस्थाओं द्वारा धवाला सड़क पर तथा आवासीय बस्तियों में विद्यालय निर्मित किये गये हैं। धवाला सड़क पर काफी संख्या में छात्रावास भी निर्मित हुए हैं।

2.6 (6) अ. शैक्षणिक सुविधाएं

जालोर नगर में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति संतोषप्रद है, नगर में एक महिला महाविद्यालय, एक छात्र महाविद्यालय, एक विधि महाविद्यालय, एक बी.एड महाविद्यालय, एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं तथा काफी संख्या में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं। इस नगर में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का वर्णन तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका-7

शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण, जालोर-2011

क्र.सं.	शैक्षणिक सुविधा का स्तर	संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	9	609
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	10	1516
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	64	1800
4.	बी.एड. महाविद्यालय	1	100
5.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	1	150
6.	विधि महाविद्यालय	1	50
7	महाविद्यालय-छात्र	1	470
8	महाविद्यालय-महिला	1	300
9	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय	1	200
10	ज्योतिबा फूले महाविद्यालय	1	150
	योग	88	4995

स्रोत :- जिला शिक्षा अधिकारी एवं सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण।

2.6 (6) ब. चिकित्सा सुविधाएं

जालोर नगर में सार्वजनिक सरकारी चिकित्सालय, सूरजपोल से जिला कलक्टर कार्यालय जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आर्युवेदिक चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय भी स्थित है। जालोर नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को निम्न वर्णित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका – 8
चिकित्सा सुविधाएं, जालोर

क्र.सं.	चिकित्सालय का स्तर	प्रकार	शैय्याएं
1	राजकीय चिकित्सालय	सरकारी	162
2	आयुषी चिकित्सालय	निजी	15
3	राठी एण्ड अग्रवाल चिकित्सालय	निजी	—
4	चन्द्रलोक चिकित्सालय	निजी	—
5	नेत्र चिकित्सालय	निजी	—
6	ई.एस.आई. चिकित्सालय	सरकारी	—
7	स्वास्थ्य केन्द्र	सरकारी	—
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सरकारी	—
9	आर्युवेदिक चिकित्सालय	सरकारी	—
10	पशुचिकित्सालय	सरकारी	1

स्रोत— चिकित्सा विभाग एवं सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

2.6 (6) स. सामाजिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थान एवं ऐतिहासिक स्थल

जालोर नगर में काफी संख्या में धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद ईदगाह आदि स्थित हैं। प्राचीन ऐतिहासिक भवन भी पुराने नगर में स्थित है। जालोर नगर में स्थित पहाड़ी पर पुराना किला स्थित है जहां पर शिव मंदिर, जैन मंदिर, आशापुरी मंदिर, मलिक शाह की दरगाह स्थित हैं। पुराने नगर के मध्य में परमार राजा भोज के काल में निर्मित भव्य संस्कृत पाठशाला एवं देवालय स्थित है जो शताब्दियां बीत जाने के बाद भी अपनी पूरी भव्यता को सजाये हुए हैं। इस पाठशाला को तोपखाना के नाम से जाना जाता है और अब यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर है। इसी के आगे "फोलावास का जैन मंदिर" स्थित है जो काफी प्राचीन है और इसके सामने एक चौक बना हुआ है जहां पर वाहनों की पार्किंग आदि होती है। पुराने नगर में वीरम देव चौक के सामने एक पुरानी मस्जिद स्थित है पुराने नगर के अन्दर जाने के लिए दक्षिण की तरफ सूरजपोल, पूर्व की तरफ तिलक पोल, पश्चिम की तरफ बड़ी पोल निर्मित है जिनमें से होकर पुराने नगर में जाया जाता है। नगर के पश्चिम की तरफ कलाशाचल पर्वत पर 646 मी. की ऊंचाई पर सिरे मंदिर स्थित है जो पक्की सड़क द्वारा मुख्य बगोड़ा सड़क से जुड़ा हुआ है। जिला कलक्टर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर कीर्ति स्तम्भ एवं नंदीश्वर द्वीप तीर्थ जैन मंदिर स्थित है जहां काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। जालोर नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जहां पर काफी संख्या में जिले से लोग इन आयोजनों में आते हैं। सीतामाता, सिरे मंदिर, विजयदशमी मेला, देवझूलनी, गणेश चतुर्थी, जागृत हनुमान जयंती पर जालोर नगर में मेले आयोजित होते हैं। नगर में स्थित सूंदला तालाब के किनारे कई मंदिर एवं आश्रम स्थित है। बगोड़ा सड़क पर ईदगाह भी स्थित है जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। वर्तमान में आहोर से आने वाली सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग के आस-पास लगभग 27 बीघा भूमि में स्वामी श्री आत्मानंद सरस्वती धाम मंदिर एवं धर्मशाला निर्मित की गई है जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालू आते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस नगर में निम्न प्राचीन बावड़ी एवं जलाशय स्थित है –

1. सूंदेला तालाब— इसका रख-रखाव जलदाय विभाग द्वारा किया जाता है।
2. खेरले बावड़ी
3. अमरा बावड़ी
4. मालकुआ बावड़ी
5. तेशखान बावड़ी
6. गागरदी बावड़ी
7. सन बावड़ी
8. शीतला माता मंदिर के पास मनसाली बावड़ी

2.6 (6) द. अन्य सामुदायिक सुविधायें

जालोर नगर में एक टेलीफोन एक्सचेंज, एक डाकघर, तीन उप डाक घर, एक दूरदर्शन केन्द्र, दो पुलिस थाने, एक पुस्तकालय, एक सामुदायिक भवन, एक अग्निशमन केन्द्र, छः क्लब, एक सिनेमा हॉल (वर्तमान में बंद है), 20 धर्मशालाएं, एक सर्किट हाउस, दो डाक बंगले, पांच पेट्रोल पम्प, 12 व्यापारिक बैंक, बीएसएनएल कार्यालय स्थित है।

2.6 (6) य. जनोपयोगी सुविधाएं

2.6 (6) य. (i) जलापूर्ति

जालोर नगर में वर्तमान में जलदाय विभाग द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जालोर नगर से लगभग 35 किमी. की दूरी पर एवं 12 किमी. की दूरी पर क्रमशः स्थित कुआबेर व रणछोड़ नगर ग्राम में खोदे गये ट्यूबवेलों से जल वितरण किया जा रहा है। सनपारा गांव में भी ट्यूबवेल से जल वितरण किया जा रहा है। इन स्रोतों से रॉ-वाटर 14 इंच, 12 इंच, 10 इंच, 8 इंच, 4 इंच व्यास के पाइप लाइन के द्वारा नगर में लाया जाता है। वर्तमान में जल उपचार केन्द्र उपलब्ध नहीं है। नगर को जल वितरण के

लिए 54 जोन में बांटा गया है और वर्तमान जनसंख्या के लिए 39 एमएलड़ी जल की आवश्यकता है। जल वितरण करने के लिए 14 सतही जलाशय (3690 किलो लीटर क्षमता के), दो उच्च जलाशय (2 लाख लीटर क्षमता के) जलदाय विभाग द्वारा बनाये गये हैं। नगरवासियों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जा रहा है और वह भी 72 घंटे में केवल 90 मिनट के लिए दिया जाता है। जलदाय विभाग द्वारा नर्मदा नहर से जल लाने के लिए योजना क्रियान्वित की जा रही है। उम्मेदाबाद ग्राम में जल उपचार केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, आशा है कि एक या दो वर्ष में इस नगर को नर्मदा जल योजना के पूरी होने पर 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण हो सकेगा। वर्तमान में जल सम्बन्ध एवं प्रकार व उनकी संख्या को निम्न वर्णित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-9

जल सम्बन्ध एवं प्रकार, जालोर- 2011

क्र.सं.	कनेक्शन के प्रकार	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	9860
2.	व्यावसायिक	516
3.	औद्योगिक	251
4.	राजकीय	792
5.	अन्य(नल कूप)	34
योग		11453

स्रोत :- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जालोर

2.6 (6) य. (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

जालोर नगर में सीवरेज योजना क्रियान्वित हो चुकी है और पूरे नगर में सीवर लाइन डाली जा चुकी है तथा सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण प्रगति पर है। यह उपचार केन्द्र नगर के उत्तर की तरफ लगभग 4 किमी. की दूरी पर बगोड़ा रोड़ व रेलवे लाइन

के मध्य स्थित है जिसका क्षेत्रफल 33.1 एकड़ (13.43 हेक्टेयर) है। नगर में वर्षा के पानी के निकास के लिए कोई योजना नहीं बनी है एवं वर्षा का पानी सड़कों के सहारे-सहारे बहकर सूंदेला तालाब में जाता है। पुराने नगर में अभी भी सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की खुली नालियां बनी हुई है जिनमें घरों का गंदा पानी बहता है।

नगर में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अभी तक कोई स्थान विकसित नहीं किया गया है हालांकि नगर पालिका जालोर ने नगर के उत्तर की तरफ स्थित सरदार गढ़ ग्राम में ठोस कचरा निष्पादन के लिए भूमि चिह्नित की है और इस भूमि को आवंटित कराने के लिए जिला कलक्टर कार्यालय को पत्र भेजा हुआ है। वर्तमान में ठोस कचरे का निष्पादन नदी के किनारे, सड़कों के किनारे व अन्य खुले स्थानों पर किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 25 टन कचरा प्रतिदिन उठाया जाता है। बायो मेडिकल के निष्पादन के लिए सरकारी चिकित्सालय में व्यवस्था की हुई है जहां पर निजी चिकित्सालय का बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन होता है।

2.6 (6) य. (iii) विद्युत आपूर्ति

जालोर नगर में विद्युत आपूर्ति के लिए लेटा ग्राम के नजदीक मुख्य आहोर-जालोर सड़क पर 220 किलोवाट का ग्रिड स्टेशन स्थित है जिसका संचालन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा किया जाता है। यहां से नगर को विद्युत सप्लाई करने के लिए रेलवे फाटक के बाद महाविद्यालय के सामने 132 केवी का ग्रिड स्टेशन स्थित है। नगर को एवं ग्रेनाइट उद्योगों के क्षेत्रों को विद्युत वितरण करने के लिए 33/11 किलोवाट के तीन उप-विद्युत केन्द्र स्थित है जिनमें से एक महाविद्यालय के सामने, दूसरा बगोड़ा सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र से लगता हुआ तथा तीसरा भीनमाल सड़क पर तीसरे चरण के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। विद्युत कनेक्शन के प्रकार एवं संख्या का विवरण निम्न तालिका 10 में दिया गया है।

तालिका-10
विद्युत सम्बन्ध एवं प्रकार, जालोर- 2011

क्र.सं.	कनेक्शनों के प्रकार	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	9575
2.	औद्योगिक	875
3.	सड़क रोशनी	68
4	वाणिज्यिक	2348
5	कृषि	159
6	जल दाय विभाग	15
7	नगर पालिका	5
8	मिक्स लोड	60
योग		13105

स्रोत :- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.

2.6 (6) र. श्मशान एवं कब्रिस्तान

नगर में 7 श्मशान एवं 10 कब्रिस्तान विभिन्न स्थानों पर स्थित है। मुख्य श्मशान भीनमाल सड़क पर पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा सूंदला तालाब के पास भी एक श्मशान स्थित है। एक श्मशान गीतको होटल के सामने जाने वाली सड़क पर भी स्थित है। मुख्य कब्रिस्तान बगोड़ा रोड़ के दोनों ओर ईदगाह के पास स्थित है। कुछ कब्रिस्तानों के चारों ओर पक्की दीवार बनी हुई है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान गीतको होटल के उत्तर की दिशा में स्थित है। सूंदला तालाब के पश्चिम की तरफ बाईपास सड़क पर भी कब्रिस्तान स्थित है।

2.6 (7) परिसंचरण

2.6 (7) अ. यातायात व्यवस्था

जालोर नगर राज्य राज मार्ग 16 एवं 31 के मिलान बिन्दु पर स्थित है। राज्य राज मार्ग 16 इस नगर के पूर्व की तरफ आहोर, तखतगढ़, सांडेराव (राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर

स्थित), फालना, बाली, सादड़ी एवं देसूरी कस्बों को जालोर से जोड़ता है। यह सड़क दो लेन की है और इस पर यातायात भी बहुत अधिक रहता है। राज्य राजमार्ग 31 जालोर एवं उत्तर की ओर सायला होते हुए बाड़मेर को जाता है तथा जालोर से दक्षिण की तरफ रामसनि व भीनमाल होते हुए रानीवाड़ा कलां ग्राम पर 105 किमी. की दूरी पर राज्य राज मार्ग 11 पर मिलता है। राज्य राजमार्ग 11 राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित सांचोर नगर से शुरू होकर कलां होते हुए आबू रोड़ नगर को जाता है। इस राज्य राजमार्ग पर भी काफी यातायात रहता है क्योंकि इस सड़क से गुजरात प्रदेश से बहुत अधिक यातायात आता-जाता है। जालोर नगर के पूर्व की तरफ 20 किमी. की दूरी पर राज्य राजमार्ग 16 पर स्थित आहोर ग्राम से उत्तर की तरफ राज्य राजमार्ग 64 जाता है जो जालोर नगर को भदराजन एवं रोहट कस्बों को जोड़ते हुए जोधपुर नगर को जोड़ता है। रोहट कस्बा पाली से जोधपुर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर स्थित है। इस प्रकार जालोर नगर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही जिलों के नगरों एवं कस्बों से पक्की सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है और इस कारण जालोर नगर से काफी संख्या में बसें, भारी माल वाहक वाहन व अन्य छोटे वाहन जैसे मोटर कार, टेक्सी आदि रोजाना काफी संख्या में आते जाते हैं।

जालोर नगर के उत्तर की तरफ बिशनगढ़ रेलवे स्टेशन होते हुए बाड़मेर नगर को दो लेन की पक्की सड़क जाती है जिस पर काफी यातायात रहता है। यह नगर जिले में स्थित उम्मेदाबाद, सायला, धवाला, जसवंतपुर, महेशपुर आदि ग्रामों से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है और इस कारण आस-पास के ग्रामों के लोग जालोर में स्थित जिला स्तरीय कार्यालयों एवं जिला अस्पताल, उच्च शिक्षा के लिए रोजाना आते जाते हैं। इन सड़कों पर भी काफी यातायात रहता है।

जालोर नगर की नगर पालिका सीमा में प्रमुख सड़कें निम्न हैं—

1. सूरजपोल गेट से जिला कलक्टर कार्यालय होते हुए रेलवे स्टेशन तक।
2. जिला चिकित्सालय से तिलक गेट होते हुए बस स्टेण्ड के आगे तेल मील तक।
3. रेलवे फाटक से शिक्षण संस्थाएं होते हुए रेलवे स्टेशन तक।

4. रेलवे फाटक से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के ग्रिड सब स्टेशन से होते हुए भीनमाल सड़क तक।
5. जिला चिकित्सालय से नगर पालिका कार्यालय के पश्चिम की तरफ होते हुए रेलवे फाटक तक।
6. बगोड़ा रोड़ पर स्थित पंचायत समिति के पास से होते हुए बाईपास सड़क जो रेलवे स्टेशन के पास से होते हुए पुलिस लाइन के सामने मुख्य सड़क पर जुड़ती है।
7. भीनमाल सड़क पर वन विभाग की पौधशाला से लगती हुई धवाला जाती हुई पक्की सड़क।
8. पुराने नगर में तिलक गेट से सूरजपोल गेट तक की सड़क।
9. तिलक गेट से तोपखाना तक की सड़क।
10. गीतको होटल के सामने सिरे मंदिर को जाने वाली पक्की सड़क।
11. पंचायत समिति कार्यालय के सामने से बड़ी पोल तक सड़क।

पुराने नगर में सीमेन्ट की सड़कें बनी हुई हैं जिनकी चौड़ाई लगभग 15 फीट है तथा उनके दोनों ओर पक्की खुली नालियां बनी हुई हैं। रेलवे फाटक से पुलिस लाइन क्रॉसिंग तक सड़क की चौड़ाई 83 फीट, जोधपुर विद्युत वितरण लि० कार्यालय से नगर पालिका कार्यालय तक 53 फीट, नगर पालिका कार्यालय से पुराने बस स्टेण्ड तक 40 फीट, पुराने बस स्टेण्ड से गीतको होटल तक 100 फीट, गीतको होटल से सिरे मंदिर जाने वाली सड़क 100 फीट, पंचायत समिति कार्यालय के पास से जाने वाली बाईपास सड़क 50 फीट, रेलवे स्टेशन से पुलिस लाइन तक 80 से 100 फीट, पुलिस लाइन जंक्शन से जिला कलेक्टर कार्यालय होते हुए नगर पालिका कार्यालय तक 75 से 100 फीट, गीतको होटल से श्रीराम कॉलोनी (बगोड़ा रोड़ पर स्थित) तक चौड़ाई 100 फीट है। नगर पालिका सीमा के अन्दर प्रमुख सड़कें, उप प्रमुख सड़कें एवं मुख्य सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 22 किमी. है। 1000 की जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई 0.38 किमी. है।

राजकीय चिकित्सालय से बगोड़ा जाने वाली सड़क के दोनों ओर पेट्रोल पम्प एवं दुकाने बनी हुई हैं और इस सड़क पर बहुत अधिक यातायात रहता है। सड़क के

मार्गाधिकार में ही टेक्सी, ऑटोरिक्शा एवं अन्य प्रकार के वाहनों की पार्किंग होती है। इसी सड़क पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बस स्टेण्ड स्थित होने के कारण बसों का आवागमन भी बहुत अधिक रहता है। उत्तर की तरफ बगोड़ा रोड़ पर ग्रेनाइट पत्थर की औद्योगिक ईकाइयां स्थित होने के कारण भी भारी वाहनों का काफी आवागमन रहता है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के पास से बाईपास सड़क निर्मित की हुई है जिस पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है और ये वाहन इस जंक्शन से राजकीय चिकित्सालय की तरफ नहीं जा सकते हैं। आहोर व भीनमाल जाने वाले भारी वाहन (ट्रक आदि) बाईपास सड़क का इस्तेमाल करते हैं। राजकीय चिकित्सालय से तिलक गेट के सामने तक दिन में एक तरफा यातायात का प्रावधान किया हुआ है क्योंकि इस स्थान पर सड़क की चौड़ाई बहुत कम है और दोनों तरफ दुकानें स्थित है। राजकीय चिकित्सालय चौराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर भी स्थानीय यातायात बहुत अधिक है क्योंकि दिन में जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में काफी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। भीनमाल से आने वाला यातायात लिंक रोड़ से होते हुए आहोर की तरफ जाता है तथा बगोड़ा जाने वाला यातायात बाईपास सड़क से बगोड़ा रोड़ पर जाता है।

इस नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए काफी संख्या में ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं और इनके लिए नगर में मुख्य चौराहों, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग स्थल चिह्नित किए हुए हैं। पुराने नगर में वीरम देव चौक पर, तिलक गेट के पास, बस स्टेण्ड के सामने, जिला कलक्टर कार्यालय के सामने, चिकित्सालय के सामने भी ऑटो स्टेण्ड स्थित है। नगर में चार मुख्य चौराहे स्थित है, इन चारों चौराहों पर काफी अधिक यातायात रहता है अतः इनका विकास किया जाना आवश्यक है। बस स्टेण्ड परिसर के अन्दर ही टेक्सी स्टेण्ड स्थित है। एक टेक्सी स्टेण्ड मुख्य बगोड़ा सड़क पर अम्बेडकर पार्क की भूमि पर स्थित होकर कार्यशील है।

2.6 (7) ब. बस सेवा

जालोर नगर में बगोड़ा सड़क पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. एवं निजी बस चालकों का संयुक्त बस स्टेण्ड बना हुआ है जिसके चारों ओर चार दिवारी बनी हुई है एवं यात्रियों के लिए सुविधाएं जैसे प्लेटफार्म, शौचालय आदि उपलब्ध है। जालोर नगर से रोजाना काफी संख्या में बसें दूसरे नगरों को जाती है और उतनी ही बसें जालोर नगर आती है। जालोर नगर से जोधपुर, जयपुर, पाली, अजमेर आबू रोड़, सिरौही, पालनपुर, सांचोर, बाड़मेर, बालोतरा आदि नगरों को नियमित रूप से बसें आती जाती है। निजी बस चालकों द्वारा भी जालोर जिले में स्थित ग्रामों के लिए बसों का संचालन किया जाता है।

2.6 (7) स. ट्रक टर्मिनल

जालोर नगर में पहले मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार आहोर रोड़ पर ट्रक टर्मिनल के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था लेकिन वर्तमान में वहां पर निजी संस्था द्वारा छात्रावास का निर्माण कर लिया गया है। विद्यमान भू-उपयोग सर्वे करने के फलस्वरूप यह पाया गया कि वर्तमान में नगर पालिका द्वारा पिछले 20 वर्षों में नियोजित ट्रक टर्मिनल नगर में विकसित नहीं किया गया और ना ही इसके लिए कोई स्थान निर्धारित किया गया है। वर्तमान में नगर के उत्तर की तरफ बगोड़ा सड़क पर रीको के औद्योगिक क्षेत्र के पूर्ण रूप से विकसित होने के फलस्वरूप ट्रक मुख्य सड़क के मार्गाधिकार में ही खड़े रहते हैं जहां पर इनकी मरम्मत आदि के लिए भी दुकानें निर्मित हो चुकी हैं। ये ट्रक ग्रेनाइट उद्योगों से टाइल्स एवं स्लेब उठाकर अन्य नगरों में जाते हैं। इस स्थान पर दुर्घटनाओं का भय लगा रहता है और सड़क पर यातायात अवरुद्ध होता है इसी प्रकार नगर के दक्षिण की तरफ भीनमाल सड़क के दोनों ओर ट्रक खड़े रहते हैं, जहां पर इनकी मरम्मत की दुकानें बुकिंग एजेंसी, पेट्रोल पम्प, खाने पीने के ढाबे आदि सड़क के सहारे सहारे निर्मित हो रहे हैं। भीनमाल सड़क पर रीको ने तीसरे चरण का औद्योगिक क्षेत्र विकसित तो कर दिया है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर ट्रकों की पार्किंग के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र की आन्तरिक सड़कों पर भी ट्रक खड़े रहते हैं क्योंकि वे वहां से ग्रेनाइट टाइल्स, स्लेब

आदि उठाकर ट्रकों में लादकर नगर से बाहर अन्य स्थानों में जाते हैं। इस समस्या के बारे में हितधारकों की बैठक में भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भीनमाल सड़क व बगोड़ा सड़क पर दो ट्रक टर्मिनल बनाये जावे।

2.6 (7) द. रेल सेवा

जालोर नगर बड़ी रेलवे लाइन से उत्तर की तरफ बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर नगरों से तथा दक्षिण की तरफ भीनमाल, रानीवाड़ा कलां, भीलड़ी, पालनपुर, आबूरोड़ नगरों से जुड़ा हुआ है। 24 घण्टे में जालोर रेलवे स्टेशन से दो सवारी गाड़ियां तथा 17-18 मालगाड़ियां आती-जाती है। जालोर रेलवे स्टेशन का भवन रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ स्थित है एवं रेलवे परिसर में खुली भूमि भविष्य के विस्तार के लिए उपलब्ध है तथा वाहनों की पार्किंग भी रेलवे परिसर में ही होती है। रेलवे स्टेशन के सामने पश्चिम की तरफ पक्की सड़क जिला कलक्टर कार्यालय होते हुए नगर को जाती है। रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे स्टाफ के आवासीय भवन भी स्थित है। रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ एफसीआई गोदाम व इसके आस-पास आवासीय बस्ती बसी हुई है और यहां पर रहने वाले लोगों को रेलवे लाइन पार करके रेलवे स्टेशन आना पड़ता है क्योंकि रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ रेलवे स्टेशन का भवन स्थित नहीं है। रेलवे स्टेशन के दक्षिण की तरफ आहोर से जालोर आने वाली सड़क पर रेलवे फाटक स्थित है जो हर 24 घंटे में 18 बार बंद होता है। फाटक बंद होने के इस कारण रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों का जमघट लग जाता है जिससे यातायात में काफी अवरुद्धता होती है। दोनों रेलवे फाटकों पर रोड़ ओवर ब्रिज की आवश्यकता है।

2.6 (7) य. हवाई सेवा

वर्तमान में जालोर नगर में छात्रों के महाविद्यालय से लगता हुआ हेलीपेड़ स्थित है जहां से हेलीपेड़ की सेवा उपलब्ध है। हवाई सेवा के लिए जोधपुर नगर में स्थित निकटतम हवाई पट्टी इस्तेमाल की जाती है। जोधपुर नगर की दूरी जालोर नगर से लगभग 148 किमी. है और ये दोनों नगर दो लेन पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं।

3
नियोजन की संकल्पना

3. नियोजन की संकल्पना

मानव के साथ साथ रहने की कला, सभ्यता का एक सूचकांक रही है। हालांकि पूर्वकाल से ही सामाजिक गतिविधियों, पूजा-अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं तथा नगरों की स्थापना अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च स्थल रहा है जो उपयोग एवं उपभोग स्थल बना रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है जो सीमित है। अतः उस भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए नियोजन महत्वपूर्ण है ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो। आर्थिक गतिविधियों एवं भू उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकता है।

भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जो कि किसी भी नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का कार्य करता है, और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के संबंध में ऐसे वृहद् निर्णय लिये जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के विषयों पर उचित समाधान हेतु इस संपूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ एक भूमि उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भूमि उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानागत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था

से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। जालोर नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गयी है।

यह लगभग सुनिश्चित है कि आगामी दशकों में जालोर नगर राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रेनाइट औद्योगिक नगर बना रहेगा। राजस्थान प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में जालोर नगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर भी बना रहेगा तथा इसके अतिरिक्त इस जिले में काफी संख्या में प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर व किले होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। जालोर नगर में वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है तथा जालोर नगर को पर्यटक ठहराव केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। जालोर नगर जोधपुर, बाड़मेर, पालनपुर और अहमदाबाद (जो गुजरात प्रदेश में स्थित है) से बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है और भविष्य में इस रेलवे लाइन पर यातायात बढ़ने की संभावना है इस कारण इस नगर के विकास में अभी ओर वृद्धि होगी। भविष्य में रीको द्वारा जालोर नगर से लगभग 20 किमी. की दूरी पर बागरा रेलवे स्टेशन के पास 900 बीघा भूमि में नया ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है और इस कारण इसका असर जालोर नगर के भौतिक एवं आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। मास्टर प्लान बनाने के पहले हितधारकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जालोर-रानीवाड़ा रेलवे लाइन के पास उचित स्थान पर सूखे बन्दरगाह का निर्माण किया जा सकता है जिससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग से बनने वाली टाइल्स व स्लेब्स भारतवर्ष में एवं दुनिया के अन्य नगरों में सुविधापूर्वक निर्यात की जा सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन की संकल्पना से यह निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले 20 वर्षों में जालोर नगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होगा।

आगामी दशकों में जालोर नगर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक व पर्यटन केन्द्र बना रहेगा। यहां स्थित प्रसिद्ध

मन्दिरों के कारण काफी संख्या में पर्यटक इस नगर में आते रहेंगे और यहां एक या दो दिन ठहरने के जिले में स्थित मंदिरों में जाने का कार्यक्रम बनायेंगे।

3.1 नियोजन की नीतियां

योजना की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में विकास न केवल सही दिशाओं एवं स्थलों पर हो, परन्तु यह एक सफल समुदायों की संरचना कर सके, उन्हें एक पहचान दे सके तथा साथ-साथ रहने, क्रिया कलाप करने एवं आवागमन हेतु स्थल प्रदान कर सकें।

यह वर्तमान एवं आने वाले समुदायों के आपसी प्रयत्नों पर निर्भर करता है। योजना की प्रक्रिया नये प्रयत्नों में योगदान कर सकती है जैसे कि समुचित स्तर की जन एवं सामुदायिक सुविधाएं, सही स्थल पर सुनियोजित करना, एक स्थल पर वे सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिससे की उसकी एक अलग पहचान बन सकें, तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त सुविधाओं का भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भली भांति जुड़ाव हो सके एवं वर्तमान समुदायों के साथ भी तालमेल बना रहे।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपरोक्त वर्णित नियोजन नितियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं –

1. जालोर नगर का औद्योगिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक पर्यटन महत्व बना रहेगा।
2. नगर में औद्योगिक विकास में वृद्धि को देखते हुए ट्रक टर्मिनल, चौड़ी सड़कें, पार्किंग सुविधा, बाईपास सड़क, रेलवे ओवर ब्रिज आदि का प्रावधान करने की आवश्यकता है।
3. जालोर नगर जिला मुख्यालय होने के कारण भविष्य में इसकी आर्थिक वृद्धि होने के कारण नये सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों की स्थापना को देखते हुए उचित प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. जालोर नगर के धार्मिक पर्यटन के महत्व को देखते हुए मंदिर, मस्जिद एवं जिले के अन्य नगरों में स्थित मंदिरों में दर्शनार्थ हेतु श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी अतः इस नगर में अच्छी व सस्ती होटलें, रिसॉर्ट, व्यावसायिक केन्द्र एवं धर्मशालाएं आदि की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पुरातत्व के महल व प्राचीन धरोहरों को सूचीबद्ध कर उनका पुनर्निर्माण व संधारण ढंग से किया जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें।
5. औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास श्रमिकों के लिए नियोजित आवासीय बस्तियां विकसित की जानी चाहिए ताकि कच्ची बस्तियों का प्रारंभ होकर अतिक्रमण न हो सके। राजीव आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस नगर को कच्ची बस्ती रहित नगर बनाने का प्रयास होगा।
6. आवासीय घनत्व एवं स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधायें एवं अन्य सेवाओं हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए। राजस्थान आवासन मण्डल को मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय उपयोग के अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए तथा सिरे मंदिर जाने वाली सड़क के सहारे उपलब्ध खुली भूमि में भी आवासन मण्डल द्वारा योजना बनाई जानी चाहिए।
7. नगर में स्थित बस स्टेण्ड का पूर्ण विकास एवं सौन्दर्यकरण, विभिन्न स्थानों पर ट्रक टर्मिनल का निर्माण, नगर में मुख्य-मुख्य बाजारों में वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
8. नगर की भावी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए एक सामान्य चिकित्सालय की आवश्यकता है। हितधारकों ने यह बताया कि एक निजी निवेशकर्ता द्वारा इस नगर में चिकित्सालय बनाने के लिए रुचि दिखाई है अतः इस नये चिकित्सालय के लिए नये मास्टर प्लान में भूमि सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
9. नगर में आमोद प्रमोद, खेल के मैदान, मेला मैदान, सभा आयोजन करने के लिए खुले मैदान की नितांत आवश्यकता है। हितधारकों का यह निर्णय था कि भविष्य में नगर में इन सुविधाओं का उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।

सड़कों के किनारे तथा नगर में स्थित पहाड़ की तलहटी पर वृक्षारोपण करना चाहिए।

10. भविष्य में नगर के आर्थिक विकास को मध्य नज़र रखते हुए मास्टर प्लान में थोक भवन सामग्री, मण्डी, ग्रेनाइट उद्योग के टाइल्स आदि के उत्पादनों की थोक मण्डी, थोक अनाज मण्डी, दुग्ध डेयरी प्लांट आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए।
11. सीवरेज योजना का क्रियान्वयन हो चुका है और नगर के उत्तर की तरफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य चल रहा है। भविष्य में नगर का विस्तार उत्तर दक्षिण एवं पूर्व की तरफ होने की संभावना है अतः जलदाय विभाग को नये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी से भूमि चिह्नित करनी चाहिए। भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए सीवरेज योजना बनानी चाहिए।
12. वर्तमान में जालोर नगर को फ्लोराइड युक्त जल वितरण किया जा रहा है। हितधारकों का यह कहना था कि जलदाय विभाग को जल उपचार केन्द्र का उपचार करना चाहिए जिससे भविष्य में फ्लोराइड रहित जल वितरण हो सके। नर्मदा नहर जल वितरण योजना का भी शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए जिससे भविष्य में नगरवासियों को 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जा सके। नगर में पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर नई लगाने के लिए जलदाय विभाग को योजना बनानी चाहिए।
13. फल एवं सब्जी मण्डी, जो आहोर सड़क पर स्थित है वहां से लेटा ग्राम तक सड़क के दोनों तरफ व्यावसायिक एवं उनके पीछे आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया जावे जिससे व्यस्त सड़क पर अनियमित विकास नहीं हो सके।
14. आहोर से भीनमाल जाने के लिए वर्तमान में नगर में से होकर जाना पड़ता है। भविष्य में आहोर जाने वाली सड़क एवं भीनमाल जाने वाली सड़क के मध्य बाईपास सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आहोर जाने वाली सड़क से बगोड़ा या बाड़मेर जाने के लिए नगर में से होकर जाना होता है तथा रेलवे लाइन को भी पार करना होता है जहां पर वर्तमान में रेलवे फाटक स्थित है। भविष्य में नगर के विकास की संभावनाओं को मध्यनजर

रखते हुए यह आवश्यक है कि आहोर जाने वाली सड़क से फल एवं सब्जी मण्डी के पीछे से होते हुए एवं रेलवे लाइन के समानान्तर नगर के पूर्व की तरफ एक बाईपास सड़क की आवश्यकता होगी जो उत्तर की तरफ तेल मिल के पास मिलेगी। वर्तमान में स्थित प्रमुख एवं मुख्य सड़कों के मार्गाधिकार में अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए और इन सड़कों को चौड़ा करके फुटपाथ बनाने चाहिए तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

15. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि नगर में स्थित रेलवे लाइन के दोनों ओर समानान्तर सड़क प्रस्तावित की जावे जिससे यातायात में सुविधा हो सके। रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भी भविष्य में विकास होने की संभावना है अतः पूर्व की तरफ भी नया रेलवे स्टेशन भवन बनाना चाहिए जिससे उस तरफ रहने वाले लोगों को रेलवे लाइन पार करके वर्तमान स्टेशन में न आना पड़े। हितधारकों का यह भी सुझाव था कि जालोर का दूसरा रेलवे स्टेशन जागनाथ मंदिर स्टेशन है अतः इस स्टेशन को गुडूस स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान में प्रावधान किया जाना चाहिए।
16. प्रस्तावित बाईपास सड़कों के किनारे 50 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की जाए जिससे इन सड़कों पर अतिक्रमणों को रोका जा सके और इससे नगर का पर्यावरण भी सुधरेगा तथा नगर की सुन्दरता बढ़ेगी। नगर में आने के लिए पांच सड़कों से आना पड़ता है।
17. जालोर नगर से आस-पास के गावों में जाने के लिए सड़कों को चौड़ी किया जावे व इनके किनारे पर भी वृक्षारोपण किया जावे। जालोर नगर में रोजाना काफी संख्या में ग्रामवासी एवं अन्य नगरों से जिला स्तरीय कार्यालयों में एवं न्यायालयों में अपने कार्य के लिए आते हैं अतः इनके ठहरने के लिए छोटी धर्मशालाएं तथा हाट बाजार का प्रावधान मास्टर प्लान में किया जायेगा।
18. रीको के तीसरे चरण के क्षेत्र में भीनमाल सड़क पर एक छोटी पहाड़ी स्थित है, इसको पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर एवं पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न प्रदूषण को रोका जा सके।

19. नगर में स्थित कनकाचल पहाड़ी के दक्षिणी भाग में यू आकार का क्षेत्र स्थित है। वर्षा का जल पहाड़ से आने के बाद मैदान में फैल जाता है। हितधारकों ने बैठक में सुझाव दिया कि वर्षा के जल संरक्षण के लिए यू आकार के क्षेत्र में एक एनीकट (छोटा बांध) का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वहां पर वर्षा का जल एकत्रित हो सके और नगर में स्थित सूंदला तालाब में यहां से पाइप लाइन के द्वारा वर्षा का जल भरा जा सके।
20. नगर में स्थित सूंदला तालाब व इसके किनारे पर निर्मित मंदिर, आश्रम आदि को पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण किया जाना चाहिए। सूंदला तालाब व अन्य स्थित जलाशयों का भी जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए जिससे इनके आसपास का पर्यावरण खराब नहीं हो। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। नगर के पूर्व की तरफ स्थित जवाई नदी के पश्चिमी किनारे पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और उसके किनारे आमोद-प्रमोद के लिए भी स्थान विकसित किया जाना चाहिए।
21. नगर में काफी संख्या में कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थित है। इनके चारों तरफ चार दीवारी बनाकर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे यहां के पर्यावरण में सुधार हो सके।
22. वर्तमान में अधिसूचित नगर पालिका सीमा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।
23. जालोर नगर का विस्तार उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व की तरफ होने की संभावना है अतः प्रस्तावित नगरीकृत क्षेत्र 2031 के बाहरी सीमा में अनियमित विकास को नियंत्रण करने के उद्देश्य से नगरीकृत योग्य सीमा के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की जानी चाहिए। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का सुनियोजित ढंग से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।
24. नगर के पूर्व में स्थित जवाई नदी के पश्चिमी किनारे पर तट बंद करने की आवश्यकता है क्योंकि इस नदी में बाढ़ के समय नदी का पानी नगर में आ

जाता है। नगर के लिए ड्रेनेज योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे सड़कों पर एवं निचले क्षेत्रों में वर्षा का जल एकत्रित नहीं हो सके।

25. नगर में स्थित पहाड़ी पर प्राचीन किले पर स्थित मंदिर एवं मस्जिद में काफी पर्यटक जाते हैं। वर्तमान में किले पर जाने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है और पर्यटकों को जाने के लिए काफी दुविधा होती है। तिलक गेट से तोपखाना होते हुए किले तक एक पक्की सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय भवन एवं पथ विभाग द्वारा योजना बनाई जा चुकी है और इसको शीघ्र क्रियान्वित होने का प्रयास होना चाहिए। प्राचीन किले पर स्थित मंदिर, मस्जिद व अन्य पुरातत्व महत्व की इमारतों का संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है।
26. वर्तमान में जालोर नगर में लगभग 550 ग्रेनाइट उद्योग की इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें से काफी मात्रा में ग्रेनाइट स्लरी निकलती है और इसका निष्पादन सड़कों के किनारे या आसपास उपलब्ध खुले स्थानों में या कृषि भूमि में किया जा रहा है। यह बहुत ही भयंकर समस्या है क्योंकि इससे जालोर नगर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही स्लरी के निष्पादन के लिए स्थान चिह्नित किया जाना चाहिए जिससे वहां से स्लरी डठाकर नगर से दूर एक निश्चित स्थान पर निष्पादित की जावे। वर्तमान में इस नगर में ठोस कचरा के निष्पादन के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है और नगर पालिका द्वारा नगर का समस्त ठोस कचरा जवाई नदी एवं सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। हितधारकों की बैठक में नगर पालिका द्वारा यह बताया गया कि नगर के उत्तर की तरफ सरदार गढ़ ग्राम में भूमि चिह्नित कर दी गई है और उसके आवंटन के लिए जिला कलक्टर, जालोर को पत्र भेज दिया गया है। भविष्य में नगर का विस्तार दक्षिण की तरफ भी काफी अधिक होगा अतः दक्षिण की तरफ भी एक अन्य ठोस कचरा निष्पादन स्थल की आवश्यकता होगी। नगर में स्थित सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों का बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन करने के लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे इन समस्त चिकित्सालयों एवं भविष्य में बनने वाले एक अन्य चिकित्सालय का बायो मेडिकल वेस्ट एक ही स्थान पर निष्पादन किया जा सके।

4
भावी आकार

4. भावी आकार

4.1 जनांकिकी

जालोर नगर की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 33650 व्यक्ति थी तथा वर्ष 2001 में यह बढ़कर 44830 हो गई, इस प्रकार 1991-2001 के दशक में 11180 व्यक्ति इस नगर में बढ़ गये। चूंकि यह नगर औद्योगिक विकास के फलस्वरूप तीव्र गति से बढ़ रहा है और यहां पर आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से एवं जिले के अन्य नगरों से काफी संख्या में कामगार उद्योगों में कार्य करने आ रहे हैं। इस आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप वर्तमान में यानी वर्ष 2011 में इस नगर की जनसंख्या लगभग 58000 है। चूंकि अभी जनगणना 2011 की जनसंख्या प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर उसी के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या मानी जायेगी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित यह नगर भविष्य में भी आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के कारण तीव्रता से बढ़ेगा तथा इस नगर में रोजगार के साधन उपलब्ध होने के फलस्वरूप इस नगर की जनसंख्या वर्ष 2031 तक लगभग 100000 व्यक्ति होने का अनुमान है। भविष्य में यातायात के साधनों में भी वृद्धि होगी क्योंकि यह नगर दो राज्य राजमार्ग एवं बड़ी रेल लाइन द्वारा राजस्थान एवं गुजरात नगर से सड़क व रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रशासनिक, व्यावसायिक एवं पर्यटक केन्द्र के रूप में भी यह नगर विकसित होगा। इस प्रकार वर्ष 2001 से 2031 तक इस नगर की जनसंख्या लगभग दुगुनी से अधिक हो जायेगी। प्रवजन कारक का आंकलन करते समय नगर की अर्थ व्यवस्था की भावी संभावना पर पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

क्षैतिज वर्ष 2031 की जनसंख्या अनुमान विभिन्न निर्धारित सांख्यिकीय पद्धतियों द्वारा किया गया है जिसमें निम्न मुख्य वर्णित तरीके अपनाये गये हैं—

1. संख्यात्मक वृद्धि तरीका
2. ज्योमैट्रिक वृद्धि तरीका
2. इंफ्रीमेंटल वृद्धि तरीका
3. ग्राफिकल अभिकल्पित तरीका

इस प्रकार वर्ष 2031 में लगभग 100000 जनसंख्या आंकी गई है।


तालिका 11 : विभिन्न विधियों से जनसंख्या का अनुमान

विधि	2011	2021	2031
संख्यात्मक वृद्धि तरीका	50974	57118	63262
ज्योमेट्रिक वृद्धि तरीका	58961	77546	101988
इंक्रिमेंटल वृद्धि तरीका	52926	62974	74974
ग्राफिकल अभिकल्पित तरीका	52052	54565	57954

तालिका 12 : जालोर नगर जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान 1981 – 2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर	वृद्धि दर प्रतिशत
1981	24100	-	-
1991	33650	9550	39.63
2001	44830	11180	35.22
2011	58961	14131	27.15
2021	77546	18585	31.52
2031	100000	22454	28.95

स्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार आंकलन



जालोर नगर जनसंख्या 1981 – 2031

4.2 प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना सन 2031

मास्टर प्लान के लिए नगर के भावी व्यावसायिक संरचना के बारे में आंकलन करना आवश्यक है। इसी के आधार पर ही विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे : वाणिज्यिक, औद्योगिक, यातायात, सरकारी व अर्द्ध-सरकारी कार्यालय आदि के बारे में स्थल का निर्धारण किया जाना सम्भव होता है। जालोर नगर की वर्ष 2031 की प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना के लिए भविष्य में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में तीव्र गति के विकास के कारण कामगारों की संख्या अधिक होने की संभावना है। इस नगर में निर्माण कार्य, परिवहन एवं संचार के व्यवसायों में भी वृद्धि होने की संभावना है। इन कारणों से जालोर नगर में वर्ष 2031 में लगभग 34 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या होगी। प्रस्तावित कार्यशील जनसंख्या की विभिन्न व्यवसायों में कामगारों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 13 : व्यावसायिक संरचना जालोर – 2001, 2011, 2031

क्र. स.	व्यवसाय	2001		2011*		2031*	
		काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या	%	काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या	%	काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या	%
1	कृषि, पशुपालन, खनन आदि।	1058	7.8	1152	6.0	1020	3.0
2	उद्योग	2442	18.0	4800	25.0	10200	30.0
3	निर्माण कार्य	950	7.0	1536	8.0	3060	9.0
4	व्यापार एवं वाणिज्य	2171	16.0	3456	18.0	7480	22.0
5	परिवहन व संचार	1154	8.5	1824	9.5	3740	11.0
6	अन्य सेवायें	5795	42.7	6432	33.5	8500	25.0
	योग	13570	100.0	19200	100	34000	100

स्रोत-जनगणना 2001 एवं सलाहकार द्वारा अनुमानित

4.3 विकास प्रवाह एवं सुअवसर

जालोर नगर के सर्वांगिण विकास को विभिन्न प्रमाणिक तत्व प्रभावित करते हैं। यह तत्व विभिन्न विवशताओं, समस्याओं, सुअवसरों एवं आवश्यकताओं को स्वरूप प्रदान करते हैं।

4.3.1 जालोर नगर की भविष्य में भौतिक विकास की दिशाएं

1. नगर के पश्चिम की तरफ स्थित पहाड़ होने के कारण प्राकृतिक बाधा है और इस कारण नगर का विकास पहाड़ एवं पूर्व की तरफ स्थित रेलवे लाइन के मध्य सबसे अधिक होगा। भविष्य में नगर के उत्तर की तरफ बागोड़ा सड़क के दोनों तरफ एवं दक्षिण दिशा में भीनमाल सड़क के दोनों तरफ रेलवे लाइन तक होगा। इन दोनों दिशाओं में समतल भूमि एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण औद्योगिक विकास सबसे अधिक होगा।
2. भीनमाल सड़क एवं रणछोड़ नगर जाने वाली सड़क के मध्य भी आवासीय एवं अन्य उपयोग के लिए विकास होगा, यहां पर भी समतल भूमि उपलब्ध है और पक्की सड़क भी इस क्षेत्र में स्थित है भीनमाल सड़क पर पूर्व में रीको द्वारा काफी बड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया गया है और इसके आस-पास उपलब्ध खुली भूमि में कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग हेतु परिवर्तन करके औद्योगिक इकाइयां विकसित हो रही है।
3. धवाला जाने वाली सड़क के दोनों तरफ शैक्षणिक सुविधाएं, छात्रावास विकसित हो रहे हैं अतः धवाला रोड़ एवं रेलवे लाइन के मध्य भी विकास की संभावना है।
4. आहोर से जालोर आने वाली सड़क पर स्थित फल एवं सब्जी मण्डी विकसित हो चुकी है और इसके उत्तर एवं दक्षिण की तरफ आवासीय बस्तियां विकसित हो रही है। अतः रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भी भविष्य में विकास होने की संभावना है। रेलवे स्टेशन के पूर्व की तरफ एफसीआई गोदाम व अन्य आवासीय बस्तियां बस रही है अतः इस कारण रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ विकास होगा।

5. सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ बाईपास सड़क से लगते हुए क्षेत्र में कई सरकारी कार्यालय विकसित हो चुके हैं अतः इस बाईपास सड़के उत्तर की तरफ भी भविष्य में विकास होने की संभावना है।

4.4 नगरीय क्षेत्र

जालोर क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959 की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत जालोर नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना क्रमांक प10(45) नवि/3/2011 दिनांक 12.8.2011 के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इस नगरीय क्षेत्र में जालोर राजस्व ग्राम का जवाई नदी के दक्षिण पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं लेटा राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया गया है तथा नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 26058 एकड़ (10550 हे.) है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से लगते हुए समुचित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है। अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-4 में दर्शाई गई है।

4.5 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

जालोर नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 44830 थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2031 तक यहाँ की जनसंख्या बढ़कर लगभग 1,00,000 होने का अनुमान है अर्थात् नियोजन अवधि में इस नगर में लगभग 55 हजार व्यक्तियों की बढ़ोतरी होगी। इन व्यक्तियों के लिए आवासीय उपयोग व कार्य करने के उपयोगों और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। जालोर नगर के नगरीयकरण क्षेत्र की संभावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि अनुमानित जनसंख्या 55000 व्यक्तियों को नियोजित तरीके से बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए उपर्युक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु विभिन्न भू-उपयोगों के लिए लगभग 6781 एकड़ (2745.4 हे.) भूमि की आवश्यकता होगी।

4.6 प्रस्तावित योजना क्षेत्र

जालोर नगर के नगरीय क्षेत्र को चार योजना परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऐसा निर्णय करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रमुख लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके प्रकार्यक सम्बन्ध आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। आवास, रोजगार, बाजार, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं की दृष्टि से प्रत्येक योजना क्षेत्र आत्म निर्भर इकाई के रूप में होगा। विस्तृत योजना बनाने के लिए इनमें से प्रत्येक योजना अंचल को ओर आगे योजना क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना उक्त क्षेत्र, औद्योगिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे। नियोजित विकास के लिए जालोर नगर को तालिका- 14 के अनुसार विभिन्न योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन योजना क्षेत्रों को तालिका- 14 में दर्शाया गया है।

तालिका 14

योजना क्षेत्र, जालोर- 2031

क्र. स.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल		अनुमानित जनसंख्या
		एकड़ में	हैक्टेयर में	
अ	उत्तरी योजना क्षेत्र	2495.0	1010.0	37000
ब	दक्षिणी योजना क्षेत्र	3157.0	1278.0	45000
स	रेलवे लाइन के पूर्व का योजना क्षेत्र	1239.0	502.0	18000
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र =(अ+ब+स)	6891.0	2790.0	100000
द	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	19167.0	7760.0	—
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	26058.0	10550.0	—

स्रोत : सलाहकार द्वारा किया गया आंकलन।

प्रत्येक योजना उप क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व ग्रामों की सीमा, तहसील सीमा, नगर पालिका सीमा, वर्तमान विकसित क्षेत्र 2011 तथा वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास की सीमाओं को भी यह मानचित्र दर्शाता है। इस मानचित्र में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा को भी स्पष्ट किया गया है जो 2 राजस्व ग्रामों को मिलाकर बनाया गया है। नदी पार के राजस्व ग्राम के शेष क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से नदी के पार क्षेत्र को पूर्व मास्टर प्लान की तरह ही शामिल नहीं किया गया है। इस अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 26058 एकड़ (10550 हे.) है। प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 6891 एकड़ (2790 हे.) है और इसके चारों ओर 19167 एकड़ (7760 हे.) क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में दर्शाया गया है।

4.6 (अ) उत्तरी योजना क्षेत्र

सूरजपोल से रेलवे स्टेशन होते हुए एफसीआई गोदाम को जाने वाली सड़क के उत्तर व रेलवे लाइन के पश्चिम की तरफ का समस्त वर्तमान विकसित क्षेत्र इस योजना क्षेत्र में सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2495 एकड़ (1010.0 हे.) है। स्टेशन रोड़ पर स्थित जिला कलक्टर कार्यालय परिसर, राजकीय चिकित्सालय, भवन एवं पथ का कार्यालय, सुंदला तालाब के उत्तर की तरफ स्थित बाईपास सड़क पर सरकारी कार्यालय, बगोड़ा सड़क पर स्थित समस्त व्यावसायिक संस्थान जैसे होटल, दुकानें, पेट्रोल पम्प आदि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त इस योजना क्षेत्र में बगोड़ा रोड़ के दोनों क्षेत्र का वर्तमान विकसित औद्योगिक क्षेत्र, सिरे मंदिर सड़क पर स्थित वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा सिरे मंदिर सड़क व सूरजपोल के मध्य स्थित जालोर नगर का पुराना आवासीय क्षेत्र सम्मिलित है। सुंदला तालाब, ईदगाह व अन्य वर्तमान में स्थित छोटे तालाब भी इसी योजना क्षेत्र में सम्मिलित है। जालोर नगर के लिए सिवरेज उपचार केन्द्र भी उत्तरी दिशा में प्रस्तावित बाईपास सड़क के पास स्थित है। बगोड़ा रोड़ पर वर्तमान में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व की तरफ एवं संवातीपुरा सड़क के उत्तर की तरफ रेलवे लाइन तक का खुला वर्तमान क्षेत्र आवासीय, नये सरकारी कार्यालय, आमोद प्रमोद के लिए बड़ा उद्यान, वाणिज्यिक केन्द्र तथा सार्वजनिक एवं

अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान रेलवे स्टेशन का भवन भी इसी योजना क्षेत्र में स्थित है। सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ सौन्दर्यीकरण के लिए तालाब के पाल पर खुला स्थान प्रस्तावित किया गया है। बगोड़ा सड़क एवं प्रस्तावित बाईपास सड़क के मध्य एक नये ट्रक सेन्टर के लिए स्थल प्रस्तावित किया है।

4.6 (ब) दक्षिणी योजना क्षेत्र

यह योजना क्षेत्र सूरजपोल से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के दक्षिण में तथा रेलवे लाइन के पश्चिम में स्थित है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3157 एकड़ (1278.0 हे.) है। भीनमाल सड़क एवं रेलवे लाइन के मध्य वर्तमान में विकसित रीको का औद्योगिक क्षेत्र तथा निजी भूमियों पर विकसित औद्योगिक इकाइयां इस योजना क्षेत्र में सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन वाली सड़क के दक्षिण की तरफ स्थित पुलिस लाइन, नगर पालिका कार्यालय, शिक्षा विभाग के कार्यालय, महाविद्यालय, वर्तमान में विकसित आवासीय योजनाएं, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के कार्यालय एवं ग्रिड सब स्टेशन, प्रसिद्ध जैन मंदिर, श्मशान आदि स्थित है। धवाला रोड़ एवं भीनमाल सड़क के मध्य स्थित महाविद्यालय, छात्रावास, ट्रोमा चिकित्सालय, पुलिस थाना, ड्राइविंग ट्रेक, वाटिका होटल आदि स्थित है। भीनमाल सड़क के पश्चिम की तरफ रणछोड़ नगर जाने वाली सड़क पर भी नये आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। रेलवे लाइन के साथ साथ पश्चिमी दिशा में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया है। इस क्षेत्र में धवाला रोड़ एवं रेलवे लाइन के मध्य स्थित रिक्त भूमि में भविष्य में आवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नया आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया है जिनमें सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र, आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र के दक्षिणी सिरे पर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है।

4.6 (स) रेलवे लाइन के पूर्व का योजना क्षेत्र

यह योजना क्षेत्र रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ एवं प्रस्तावित बाईपास सड़क के मध्य स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1239 एकड़ (502.0 हे.) है। इस योजना क्षेत्र में वर्तमान में विकसित थोक फल एवं सब्जीमण्डी, गोदाम, एफसीआई के गोदाम, आवासीय बस्तियां, सर्किट हाउस स्थित है। इस योजना क्षेत्र में आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है तथा नया रेलवे स्टेशन भवन भी इस तरफ प्रस्तावित किया गया है जिससे इस योजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन की सुविधा रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ ही उपलब्ध हो सके अन्यथा यहां पर रहने वाले लोगों को रेलवे लाइन पार करके रेलवे स्टेशन भवन जाना होगा। इस योजना क्षेत्र में एक वाणिज्यिक केन्द्र आमोद प्रमोद के लिए उद्यान, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं जन उपयोगी सुविधाओं के लिए स्थल सुरक्षित किये गये हैं फल एवं सब्जीमण्डी से लगता हुआ क्षेत्र अन्य थोक बाजारों के लिए प्रस्तावित किया है जैसे भवन सामग्री मण्डी आदि। प्रस्तावित थोक व्यापार मण्डी के साथ एक ट्रक टर्मिनल भी प्रस्तावित किया है जिससे इन थोक मण्डियों में आने वाले ट्रक इसी ट्रक टर्मिनल में मरम्मत आदि का कार्य करवा सके। सर्किट हाउस एवं रेलवे लाइन के मध्य में स्थित खुली भूमि में आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि इस तरफ आवासीय बस्तियां बस रही हैं।

4.6 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के भावी नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में वर्तमान में स्थित ग्रामीण आबादी क्षेत्रों पर निर्माण गतिविधियों को सम्बन्धित अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 19167 एकड़ (7760.0 हे.) है तथा इस योजना क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, वृक्षारोपण, मुर्गीपालन, हॉट बाजार, रिसॉर्ट, फार्म हाउस, पेट्रोल पम्प, मोटल आदि तथा आवश्यकतानुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु ले आऊट प्लान अनुमोदन के पश्चात आबादी के विस्तार अनुज्ञेय होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी

नियोजित विकास हो सके तथा इस योजना क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि भविष्य में जनसुविधाओं के लिए आरक्षित की जानी प्रस्तावित है। नगर की परिधि में संभावित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने तथा नगर के भावी विकास को व्यवस्थित रूप एवं दिशा प्रदान करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इस योजना क्षेत्र में पहाड़ पर निर्मित जालोर का प्रसिद्ध पुराना किला, मंदिर, मस्जिद आदि भी स्थित है तथा इस किले पर पर्यटकों के आने जाने के लिए एक पक्की सड़क का प्रस्ताव दिया गया है। पहाड़ी की तलहटी पर वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव दिया गया है। जल संरक्षण के लिए पहाड़ के दक्षिणी दिशा में यू आकार के मध्य में एनीकट के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया है जिससे पहाड़ से आने वाला बरसाती पानी यहां एकत्रित हो सके।

5

भू-उपयोग योजना

5. भू-उपयोग योजना

मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की प्रवृत्ति, भौतिक अवरोध, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है जिसे प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र के रूप में रूपान्तरित किया गया है। जालोर नगर के मास्टर प्लान का उद्देश्य नगर को सन्तुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास का एक दस्तावेज हैं।

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय भू-उपयोगों हेतु उपयुक्त जन घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भू-उपयोगों हेतु कुल 6891 एकड़ (2790.0 हे.) भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गई है। विकास योग्य क्षेत्र 6781 एकड़ (2745.3 हे.) प्रस्तावित किया गया है। उक्त भू-उपयोग वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र में से 55.4 प्रतिशत आवासीय, 2.2 प्रतिशत वाणिज्यिक, 11.6 प्रतिशत औद्योगिक, 1.0 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय, 4.4 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, 4.0 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 21.3 प्रतिशत परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत भूमि प्रस्तावित की गयी है। विद्यमान स्थिति में कस्बे का फैलाव अधिक होने के कारण कस्बे का घनत्व लगभग 14.8 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित किया गया है। तालिका में 2031 तक विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका-15

प्रस्तावित भू-उपयोग, जालोर- 2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल		विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
		एकड़ में	हैक्टेयर में		
1.	आवासीय	3755	1520.2	55.4	54.5
2.	वाणिज्यिक	147.7	59.8	2.2	2.1
3.	औद्योगिक	797.8	323.0	11.6	11.6
4.	राजकीय	66.7	27.0	1.0	1.0
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	295	119.4	4.4	4.3
6.	आमोद-प्रमोद एवं खुले स्थान	277	112.1	4.0	4.0
7.	परिसंचरण	1441	583.7	21.3	20.9
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	6781	2745.3	100	98.4
8.	नाले एवं तालाब	110	44.6		1.60
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	6891	2790		100.00

स्रोत :- सलाहकार का आंकलन

5.1 आवासीय

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मोहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मोहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा

जाता है, जिसकी आबादी 1000–2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाइयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है।

इस प्रकार जालोर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 1 लाख जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएँ बनाकर किया जायेगा। जालोर नगर का आवासीय घनत्व वर्ष 2031 में लगभग 26.8 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है।

5.1.1. आवासीय योजना क्षेत्र

क्षितिज वर्ष 2031 तक प्रस्तावित लगभग 100000 जनसंख्या के लिए भू उपयोग योजना में 3755 एकड़ (1520.2 हे.) आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 55.4 प्रतिशत है। भू उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के समीप कार्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तर की तरफ औद्योगिक क्षेत्र एवं रेलवे लाइन के मध्य, रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ प्रस्तावित बाईपास तक एवं धवाला सड़क और रेलवे लाइन के मध्य तथा भीनमाल सड़क एवं रनछोड़ नगर जाने वाली सड़क के मध्य आवासीय क्षेत्र एवं सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं।

इनके पास ही राजकीय कार्यालय शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं सामुदायिक सुविधाएं प्रस्तावित की गई है। दक्षिण में भीनमाल सड़क के पूर्व की तरफ काफी बड़े भाग में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है अतः इस औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों के

साथ साथ अन्य लोगों की आवास की सुविधा के लिए धवाला रोड़ एवं रेलवे लाइन के बीच प्रस्तावित आवासीय भूमि पर्याप्त रहेगी। यह प्रयास किया गया है कि कार्य स्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर जाना पड़े।

5.1.2 आवास

आवास समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका जालोर एवं राजस्थान आवासन मण्डल संयुक्त रूप से समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं मास्टर प्लान के अनुसार विकसित करें।

अफोर्डेबल हाइसिंग के तहत भी निम्न आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण नगर पालिका द्वारा सहभागिता के आधार पर करने के लिए योजनाएं आरम्भ करनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्ती के छिन्न भिन्न विकास को रोकने के लिए आवासीय योजनाएं विकसित करनी चाहिए।

5.1.3 कच्ची बस्तियों का विकास

जालोर नगर में स्थित कच्ची बस्तियों के सुधार एवं उनके पुर्नविकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस कार्य हेतु आईएचएसडीपी परियोजना के अन्तर्गत विस्तृत योजनाएं विकसित की जायेगी जिनमें पक्के मकानों का निर्माण, निर्धारित मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, नालियां, पक्के रास्ते, सड़क एवं सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था की जायेगी। इस नगर को कच्ची बस्ती रहित नगर बनाने के लिए समस्त कच्ची बस्तियों का विकास निर्धारित नीतियों व प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

5.2 वाणिज्यिक

जालोर नगर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है तथा इस केन्द्र में सभी तरह की जिला स्तरीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयास किया गया है। वर्ष 2031 में नगर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में 7480 श्रमिक या कुल श्रमिकों का 22 प्रतिशत व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत होंगे। वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय चौराहे से बगोड़ा रोड़ जाने वाली सड़क के दोनों ओर खुदरा दुकानें, बड़े व्यावसायिक केन्द्र, बैंक, पेट्रोल पम्प, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि निर्मित हैं अतः यह भविष्य में नगर का एक मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा। नये प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं जिससे वहां रहने वाले लोगों को वाणिज्यिक सुविधाएं उनके आस-पास में ही सुलभ हो सके।

वर्ष 2031 के लिए जालोर नगर में वाणिज्यिक उपयोग के लिए कुल 147.7 एकड़ (59.8 हे.) भूमि प्रस्तावित की है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 2.2 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकाने, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

भू-उपयोग योजना 2031 में 8 स्थानों पर स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में स्थित फल एवं सब्जीमण्डी के उत्तर एवं दक्षिण में ट्रक टर्मिनल के पास गोदामों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। उत्तर एवं पूर्व की तरफ थोक बाजार के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। तालिका-16 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका-16

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, जालोर- 2031

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल	
		एकड़ में	हैक्टेयर में
1.	विद्यमान नगरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ	52.5	21.24
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)		
	1. उत्तरी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित सरकारी कार्यालयों के पश्चिम की तरफ		3.28
	2. उत्तरी योजना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व की तरफ		0.74
	3. उत्तरी योजना क्षेत्र में बगोड़ा सड़क पर		
	4. रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ का योजना क्षेत्र		1.30
	5. रेलवे स्टेशन के पास		2.72
	6. दक्षिणी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों के पास		0.61
			6.06
	7. धवाला रोड़ एवं भीनमाल रोड़ के मध्य		4.31
	8. भीनमाल रोड़ के पश्चिम की तरफ भागली सड़क पर		1.37
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार-फल एवं सब्जी मण्डी के पास	23.5	9.45
4.	गोदाम एवं भण्डारण उत्तरी एवं दक्षिण परियोजना क्षेत्र में ट्रक सेन्टर के पास	21.36	8.72
	कुल योग		59.80

स्रोत :-सलाहकार का आंकलन।

5.2.1 विद्यमान नगरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां

नगर में वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय से भगोड़ा सड़क पर गीतको होटल तक, स्टेशन रोड़, तिलक गेट से सूरजपोल गेट, तिलक गेट से वीरम देव चौक में

वाणिज्यिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र हैं इन सड़कों पर अधिक विस्तार की संभावना नहीं है। अतः यह चारों क्षेत्र पुराने नगर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अपनी सतत सेवायें प्रदान करते रहेंगे और नगर के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बने रहेंगे।

5.2.2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)

वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 50.3 एकड़ (20.39 हे.) भूमि 8 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों के रूप में प्रस्तावित की गई है।

उक्त प्रस्तावित, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इससे नागरिकों को मुख्य नगरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार

नगर में वर्तमान में स्थित फल एवं सब्जी मण्डी के साथ ही खुली भूमि में थोक अनाज मण्डी, भवन सामग्री मण्डी के लिए 23.35 एकड़ (9.45 हे.) भूमि प्रस्तावित की है। यह क्षेत्र आहोर सड़क से 80 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क से जुड़ा हुआ रहेगा।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम

नगर की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भीनमाल सड़क पर वर्तमान में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में ही

गोदाम हेतु भूमि प्रस्तावित की है। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को यथावत रखा गया है। फल एवं सब्जी मण्डी के साथ भी वर्तमान में स्थित गोदामों को यथावत रखा गया है। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 21.36 एकड़ (8.72 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है। उत्तर व दक्षिण में प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल के पास गोदामों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.3 औद्योगिक

जालोर नगर राजस्थान की ग्रेनाइट राजधानी के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इस नगर के 20 से 30 किमी. की परिधि में काफी मात्रा में ग्रेनाइट पत्थर खानों से उपलब्ध होता है इसकी कटाई, चिराई एवं पोलिशिंग जालोर में स्थापित उद्योगों में हो रही है। वर्तमान में लगभग 500 औद्योगिक ईकाइयां ग्रेनाइट स्टोन के उद्योग में कार्यरत हैं। वर्तमान में नगर के उत्तर की तरफ बगोड़ा सड़क के दोनों तरफ तथा नगर के दक्षिण में भीनमाल सड़क के पूर्व की तरफ रीको ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रखे हैं। भविष्य में भीनमाल सड़क पर ग्रेनाइट उद्योग लगाने के लिए निजी उद्योगपतियों द्वारा कृषि भूमि में छितरे रूप से उद्योग लगाये जा रहे हैं। भविष्य में भीनमाल सड़क पर भी वर्तमान स्थित औद्योगिक क्षेत्र के समीप ही नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भीनमाल सड़क एवं रेलवे लाइन के मध्य 8 किमी. के स्टोन तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है। उत्तर की तरफ भी बगोड़ा सड़क एवं पहाड़पुरा जाने वाली सड़क के मध्य नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया है। सनफाड़ा सड़क एवं बाड़मेर जाने वाली सड़क के मध्य भी औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया है।

भू-उपयोग योजना 2031 में कुल 797.8 एकड़ (323.0 हे.) भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु प्रस्तावित है जिसको भू-उपयोग 2031 मानचित्र में दर्शाया गया है। यह प्रस्ताव है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रेनाइट उद्योगों से जो स्लरी निकलेगी उसके निष्पादन के लिए औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत ही भूमि सुरक्षित की जायेगी जिससे स्लरी को सड़कों के किनारे व अन्य खुली कृषि भूमियों में नहीं डाला जाये। प्रदूषण को रोकने के लिए स्लरी

निष्पादन क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण करने का भी प्रस्ताव है। रीको व स्थानीय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समस्त ग्रेनाइट उद्योग उनसे निकलने वाले स्लरी को निश्चित स्थान पर ही निष्पादन करें। रीको द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नये विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पूर्ण मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, जल-मल निकास की योजना, वृक्षारोपण विकसित किये जायें जिससे प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो सके। प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका - 17
प्रस्तावित औद्योगिक भू-उपयोग, जालोर-2031

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्रफल	
		एकड़ में	हैक्टेयर में
1	उत्तरी योजना क्षेत्र में पूर्व विकसित एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	245.4	99.4
2	दक्षिणी योजना क्षेत्र में पूर्व विकसित एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	552.4	223.6
	कुल	797.8	323.0

स्रोत : सलाहकार द्वारा आंकलन

5.4 राजकीय

5.4(अ) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

जालोर नगर जिला मुख्यालय है अतः इस नगर में जिला स्तरीय कार्यालय लगभग सभी विभागों के स्थित है। वर्तमान में स्टेशन रोड़ पर जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में समस्त जिलास्तरीय कार्यालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील कार्यालय, पुलिस विभाग आदि स्थित है। परिवहन विभाग, खनिज विभाग आदि सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ

बाईपास सड़क पर स्थित है। जलदाय विभाग के कार्यालय स्टेशन रोड़ के उत्तर की तरफ तथा शिक्षा विभाग के कार्यालय, पुलिस लाइन के सामने स्थित है। नगर पालिका कार्यालय, भवन एवं पथ कार्यालय, सूरजपोल से राजकीय चिकित्सालय वाली सड़क पर स्थित है। भविष्य में नगर का विकास उत्तर एवं दक्षिण की तरफ होने की संभावना है। अतः दोनों योजना क्षेत्र में नये सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है जो भू-उपयोग योजना 2031 के मानचित्र में दर्शायी गई है। उत्तरी योजना क्षेत्र में रेलवे लाइन से लगती हुई 19.8 एकड़ (8.13 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है तथा दक्षिणी योजना क्षेत्र में धवाला रोड़ के पूर्व की तरफ रेलवे लाइन के नजदीक 9.5 एकड़ (3.87 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2031 तक सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए लगभग 66.7 एकड़ (27.0 हे.) भूमि भू-उपयोग योजना में प्रस्तावित की गई है।

5.4 (ब) सरकारी आरक्षित क्षेत्र

वर्तमान में पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशन सड़क पर स्थित है। भविष्य में पुलिस लाइन क्षेत्र को यथावत रखा गया है।

5.5 आमोद-प्रमोद

सार्वजनिक उद्यानो और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानो, खुले स्थलों, खेल के मैदानों, सभा स्थलों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्ति संगत वितरण होना चाहिए। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गई है। स्थानीय स्तर के उद्यान एवं खुले स्थानों हेतु आवासीय क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर 1.5 से 2 एकड़ क्षेत्रफल के

छोटे उद्यान विकसित किये जायेंगे। यह सुविधा मास्टर प्लान में अंकित नहीं की गई है लेकिन इन्हें विस्तृत सेक्टर प्लान बनाते समय उचित स्थान पर निर्धारित किया जायेगा।

जालोर नगर में सुंदला तालाब के उत्तरी-पूर्वी दिशा में पाल के ऊपर उद्यान प्रस्तावित किया गया है जिसमें वृक्षारोपण भी किया जायेगा। वर्तमान में सड़कों के महाविद्यालय से लगता हुआ स्टेडियम स्थित है जो अभी पर्याप्त है। भविष्य में उत्तरी योजना क्षेत्र में एक ओर खुला स्थान स्टेडियम के रूप में 31.7 एकड़ (12.84 हेक्टेयर) क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है जिससे इस नगर में एक बड़ा खुला स्थान, मेला तथा आम सभा आयोजन करने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। तीनों योजना क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्रों के समीप छोटे उद्यानों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई हैं। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 287 एकड़ (116.2 हेक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि विकास योग्य क्षेत्र का 4.2 प्रतिशत है।

जालोर नगर पर्यटन की दृष्टि से भी काफी प्रसिद्ध है क्योंकि जालोर नगर एवं जिले के अन्य कस्बों एवं ग्रामों में मंदिर, किले आदि स्थित हैं। वर्तमान में धार्मिक श्रद्धालु तथा पर्यटक जालोर नगर रेल एवं सड़क द्वारा आते हैं तथा यहां पर एक या दो दिन ठहकर कर जालोर नगर में स्थित किला, किले पर स्थित मंदिर, मस्जिद एवं नगर में स्थित नंदेश्वर मंदिर तोपखाना आदि पर्यटक स्थानों स्थलों पर जाते हैं और उसके बाद भीनमाल, सांचोर, सूंडा पहाड़ी पर स्थित चामुण्डा मंदिर, भदराजन, जहाज मंदिर आदि देखने जाते हैं। वर्तमान में जालोर नगर में होटलों की कमी है अतः यह प्रस्ताव है कि भू-उपयोग योजना 2031 में प्रस्तावित व्यावसायिक केन्द्रों में पर्यटक सुविधाएं जैसे होटल, धर्मशाला आदि विकसित की जा सकती हैं और इसके लिए निजी विकासकर्ताओं से नगर पालिका को प्रस्ताव मांगने चाहिए। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए जिससे नगर में आने वाले पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटक स्थलों की विस्तृत सूचना मिल सके। सुंदला तालाब के उत्तर की तरफ प्रस्तावित खुले क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें उद्यान, फव्वारे, बच्चों का उद्यान आदि विकसित किये जायेंगे।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ

कस्बे का एकीकृत विकास करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों तथा धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु स्थलों का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों का वितरण, क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य में विकास की सम्भवनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इस भू-उपयोग हेतु 295 एकड़ (119.4 हेक्टेयर) भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 4.4 प्रतिशत है।

5.6(1) शैक्षणिक सुविधाएँ

जालोर नगर में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति काफी अच्छी है। वर्तमान में यहां पर छात्र-छात्राओं के महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय सरकारी एवं निजी स्तर पर स्थित है। भविष्य में नगर का विकास उत्तर दक्षिण एवं रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ होने की संभावना है अतः इन तीनों योजना क्षेत्रों में 14.9 एकड़ (6.07 हेक्टेयर) भूमि उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु सुरक्षित की गई है जिनको भू-उपयोग योजना 2031 के मानचित्र में दर्शाया गया है।

5.6(2) चिकित्सा सुविधाएं

जालोर नगर में एक राजकीय चिकित्सालय स्टेशन रोड़ पर स्थित है। वर्तमान में इस परिसर में भविष्य के विस्तार के लिए खुली भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र इस नगर में स्थित है। वर्तमान में दक्षिणी योजना क्षेत्र में भीनमाल सड़क पर पुलिस थाने के पास, ट्रौमा चिकित्सालय का निर्माण चल रहा है और यह लगभग पूरा होने वाला है। उत्तरी योजना क्षेत्र एवं रेलवे लाइन के पूर्व

की तरफ का योजना क्षेत्र में भी 50 शैय्याओं के नये चिकित्सालयों के लिए भूमि आरक्षित की गई है जिनको भू-उपयोग योजना 2031 के मानचित्र में दर्शाया गया है। चिकित्सा सुविधाएं हेतु नये चिकित्सालय के लिए दो स्थानों पर भूमि प्रस्तावित की गई है जिनमें से एक बगोड़ा सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व की तरफ तथा दूसरा चिकित्सालय रेलवे लाइन के पूर्वी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित किया है। दोनों स्थानों पर कुल 5 एकड़ (2.06 हे.) भूमि प्रस्तावित है।

5.6(3) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाएं जैसे— डाकघर, पुलिस थाना, लाइब्रेरी, वाचनालय आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका योजना में प्रावधान करना अति आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु भू-उपयोग योजना-2031 में उचित स्थानों पर भूमि प्रस्तावित की गई है। भू उपयोग योजना में विभिन्न स्थानों पर अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए लगभग 22.2 एकड़ (9 हे.) भूमि प्रस्तावित की गई है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में पर्याप्त भूमि के प्रावधान रखे जायेंगे जिनमें धर्मशाला, सूचना केन्द्र, रंगमंच आदि पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

5.6(4) जनोपयोगी सुविधाएँ

पेयजल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। कस्बे की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से इन सेवाओं पर अत्याधिक भार बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाये। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए 24.7 एकड़ (10 हे.) भूमि आरक्षित रखी गयी है जिसे प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

5.6(5) अ. जलापूर्ति

जालोर नगर के भविष्य में वर्ष 2031 तक के भौतिक विकास हेतु जल वितरण एक प्रमुख समस्या है क्योंकि वर्तमान में नगरवासियों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जा रहा है और वह भी 72 घंटे में 90 मिनट के लिए दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने नर्मदा नहर से जालोर नगर के लिए जल वितरण की योजना पर कार्य शुरू किया हुआ है और वर्तमान में जालोर नगर के उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगभग 30 किमी. की दूरी पर स्थित उम्मेदाबाद ग्राम में जल उपचार संयंत्र निर्मित हो रहे हैं और शीघ्र यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। नर्मदा जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त जालोर नगर को 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जायेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा इस योजना का शीघ्र क्रियान्वयन करना चाहिए जिससे भविष्य में इस नगर को 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जा सके। यह भी सुझाव है कि पुराने नगर में पुरानी पानी की लाइनों को भी बदला जाये और भू-उपयोग योजना 2031 के अनुसार तीनो योजना क्षेत्र में उच्च जलाशय जलदाय विभाग द्वारा बनाने के लिए अभी से प्रयास करने चाहिए। भू-उपयोग योजना में तीनों योजना क्षेत्र में ओवर हेड टैंक, पम्पिंग स्टेशन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। यह भी सुझाव है कि भू-उपयोग योजना 2031 के अनुरूप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करे।

5.6(5) ब. जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

जालोर नगर में जल-मल निस्तारण हेतु योजना का क्रियान्वयन चल रहा है जिसके अन्तर्गत समस्त नगर में सीवर लाइन डाली जा चुकी है तथा नगर के उत्तर की तरफ जल-मल निस्तारण के लिए प्लांट का निर्माण प्रगति पर है जिसका क्षेत्रफल लगभग 33.17 एकड़ (13.43 हैक्टेयर) है। भविष्य में जालोर नगर का विकास दक्षिण की तरफ तथा रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भी होने का प्रस्ताव भू-उपयोग योजना 2031 में

दिया गया है। भविष्य में दक्षिण में एवं रेलवे लाइन के पूर्व में भी जल-मल निस्तारण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी। भू-उपयोग योजना में इस उपयोग हेतु अभी से जन स्वास्थ्य विभाग को भूमि चिह्नित करनी चाहिए जिससे भविष्य की योजना सरलता से क्रियान्वयन हो सके।

वर्तमान में ठोस कचरा प्रबन्धन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका ने बताया कि नगर के उत्तर की तरफ सरदार गढ़ ग्राम में भूमि आवंटन करने के लिए प्रस्ताव जिला कलक्टर को भेजा हुआ है अतः उक्त स्थल पर शीघ्र ही भूमि आवंटित होने पर उसका विकास करके ठोस कचरे का निष्पादन उक्त स्थल पर किया जायेगा।

बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए उपरोक्त स्थल या अलग से स्थान चिह्नित करने के लिए नगर पालिका को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से प्रयास किये जायें। यह सुझाव है कि बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन का स्थल नगरीयकृत क्षेत्र 2031 के बाहर की तरफ होना चाहिए जिससे भविष्य में यह नगर से काफी दूर हो और इसका असर नगरवासियों पर न पड़े। निजी चिकित्सालयों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए जिससे इनकी चिकित्सालयों का बायोमेडिकल वेस्ट एक ही स्थान पर निष्पादित हो सके।

5.6(5)स. विद्युत आपूर्ति

नगर की जनसंख्या एवं आर्थिक क्रिया कलापों में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जालोर नगर में भविष्य में ग्रेनाइट उद्योग काफी संख्या में विकसित होंगे और इसके लिए नगर के उत्तर एवं दक्षिण में उद्योगों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। इन दोनों दिशाओं में विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता को देखते हुए भू-उपयोग योजना 2031 मानचित्र में भूमि प्रस्तावित की गई है। यह सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. को अभी से इन प्रस्तावित स्थलों की भूमि को अधिग्रहित करके विस्तृत योजना बनाई जावे। यह भी सुझाव है कि वर्तमान में स्थित

समस्त मुख्य सड़कों एवं चौराहों तथा व्यावसायिक/औद्योगिक क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

5.6(6) श्मशान एवं कब्रिस्तान

जालोर नगर में वर्तमान में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा गया है। पर्यावरण की दृष्टि से इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों तरफ पक्की चार दीवारी एवं सघन वृक्षा रोपण किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में नगर का विकास उत्तर, दक्षिण एवं रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ होगा। अतः इन योजना क्षेत्रों में श्मशान एवं कब्रिस्तानों की आवश्यकता के लिए इनके समीप परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल का चयन किया जायेगा।

5.7 परिसंचरण

जालोर नगर भविष्य में एक औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक एवं पर्यटक ठहराव केन्द्र की भूमिका निभायेगा। नगर में उपरोक्त गतिविधियों के बढ़ने से लोगों का एवं वस्तुओं का आगमन भी बढ़ेगा। अतः नगर में परिवहन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था अति आवश्यक है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2031 को ध्यान में रखकर जालोर नगर के लिए एक विस्तृत यातायात योजना प्रस्तावित की गई है जिसके विकसित होने पर यात्री सेवाओं एवं वस्तुओं के आवागमन में सुगमता और नगर में भारी वाहनों का आवागमन कम हो जायेगा।

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

नगर की यातायात व्यवस्था के संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया। राज्य राजमार्ग एवं प्रस्तावित बाई पास सड़क पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व

बाहरी तरफ 50 फीट चौड़ी वृक्षारोपण हरित पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार को तालिका – 18 में दर्शाया गया है।

तालिका-18

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, जालोर-2031

क्र.सं.	मार्ग व सड़क का स्तर	मार्गाधिकार
1.	राज्य राजमार्ग	60 मीटर (200 फीट)
2.	बाईपास सड़क	30 मीटर (100 फीट)
3.	प्रमुख सड़के उप प्रमुख सड़के	24 (80 फीट)
4.	उप प्रमुख सड़के	18 मीटर (60 फीट)
5.	अन्य आवासीय सड़के	18 मीटर से कम (60 फीट से कम)

5.7 (2) सड़कों को चौड़ा करना/सुधार करना एवं व्यवस्थित पार्किंग सुविधा

वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़क के रूप में प्रस्तावित किया गया है, उनका मार्गाधिकार, जहां तक संभव हो, निर्धारित नीति/मानदण्डों के अनुरूप होगा। भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण तथा नगर के बीच सड़कें चौड़ी करना संभव नहीं है या सड़कें चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े एवं और अधिक संख्या में भवनों एवं इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानक को अपनाया जा सकता है। जहां तक आवश्यक हो नगर के महत्वपूर्ण चौराहों एवं महत्वपूर्ण सड़कों की विस्तृत कार्ययोजनाएं बनाकर उनके अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहिए। विद्यमान रेलवे क्रॉसिंग से स्टेशन रोड़ वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 से 116 फीट तक है और यह काफी चौड़ी सड़क है। इसको यथावत रखा गया है। जेवीवीएनएल कार्यालय के पास से भीनमाल सड़क को जोड़ने वाली सड़क का मार्गाधिकार 83 फीट है इसको 100 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया है। जेवीवीएनएल कार्यालय से नगर पालिका कार्यालय तक जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 53 फीट है इसको 80 फीट चौड़ा करने का

प्रस्ताव है। रेलवे स्टेशन से राजकीय चिकित्सालय तक जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 75 से 100 फीट के मध्य है अतः इस सड़क को 80 फीट करने का प्रस्ताव है। पुराने बस स्टेण्ड से गीतको होटल वाली रोड़ का मार्गाधिकार 100 फीट है जिसको यथावत रखा गया है। धवाला जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा गया है। सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा गया है तथा सिरे मंदिर जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा गया है।

प्राचीन नगर में सड़कों की चौड़ाई 15 से 20 फीट है अतः इनको यथावत रखा गया है क्योंकि इनके पास पक्के भवन निर्मित है जिनको तोड़ना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। भारत खाद्य निगम गोदाम के दक्षिण की तरफ वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। गीतको होटल से बगोड़ा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित किया गया है क्योंकि इसके दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। सूंदला तालाब के उत्तर की तरफ 80 फीट चौड़ी नई सड़क प्रस्तावित की गई है रेलवे लाइन के समानान्तर पूर्व व पश्चिम दिशा में 80 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं लेकिन रेलवे स्टेशन सड़क एवं आहोर सड़क पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के मध्य सड़क प्रस्तावित की गई है क्योंकि यहां पर खुली भूमि उपलब्ध नहीं है। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में 60 से 80 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित है जिन्हें यथावत रखा गया है। भीनमाल सड़क पर 7 किमी. स्टोन से मोहन लाल प्याऊ के सामने से 200 फीट चौड़ा बाईपास प्रस्तावित किया है जो पूर्व की तरफ एचटी लाइन के समानान्तर चलते हुए आहोर सड़क पर स्थित 220 किलोवाट के जीवीवीएनएल के ग्रिड स्टेशन के उत्तरी सीमा के पास मिलेगा। आहोर की तरफ से आने वाले समस्त भारी वाहन इस नई बाईपास सड़क से भीनमाल, सांचोर, रानीवाड़ा आदि नगरों को जा सकेंगे। वर्तमान में भारी वाहन नगर में होकर के भीनमाल की दिशा में आते जाते हैं। रणछोड़ नगर एवं भागली जाने वाली सड़कों को 80 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया गया है।

5.7 (3) चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात के सहज संचरण में जो बाधाएँ आती हैं, उनमें अपर्याप्त तथा अनियोजित चौराहों के कारण भीड़-भाड़ तथा विलम्ब होना प्रमुख है। अतः समस्त चौराहों और अन्य रोड़ जंक्शन डिजाइन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात संबंधी अध्ययन तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण रोड़ जंक्शनों की जांच व सर्वेक्षण कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाइन किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (4) बस अड्डा एवं ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा बगोड़ा रोड़ पर नया बस स्टेण्ड विकसित कर दिया है एवं इसी परिसर में निजी बस चालकों द्वारा बस स्टेण्ड स्थित है। इस नये बस स्टेण्ड का कुल क्षेत्रफल 4 एकड़ (1.6 हे.) है तथा वर्तमान में खुली भूमि काम में ली जा सकती है जो भविष्य में विस्तार के लिए उपलब्ध है। इसी प्रांगण में बसों की मरम्मत एवं पार्किंग हेतु डिपो का निर्माण भी किया जा सकता है। भविष्य में नये बस स्टेण्ड के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया है क्योंकि वर्तमान बस स्टेण्ड उपयुक्त रहेगा।

वर्तमान में जालोर नगर में कोई ट्रक टर्मिनल नहीं बना हुआ है और पहले मास्टर प्लान में आहोर सड़क पर सर्किट हाउस के सामने जो स्थल ट्रक टर्मिनल के रूप में प्रस्तावित किया था उस स्थान पर छात्रावास का निर्माण हो चुका है। नगर का विस्तार उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ सबसे अधिक होगा, जहां पर वर्तमान में ग्रेनाइट उद्योगों की ईकाइयां कार्यरत हैं। वर्तमान में ट्रकों का ठहराव मुख्य सड़क के मार्गाधिकार में ही होता है और वहीं पर ही इनकी मरम्मत आदि होती है इस कारण सड़क पर यातायात अवरूद्ध होता है एवं दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2031 मानचित्र में उत्तर एवं दक्षिण दिशा में बाईपास के नजदीक ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किये हैं। तीसरा ट्रक टर्मिनल फल एवं सब्जीमण्डी के समीप

बाईपास सड़क पर प्रस्तावित किया है इन तीन ट्रक टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल 56.3 एकड़ (22.81 हेक्टेयर) प्रस्तावित किया है जो भू-उपयोग योजना 2031 के मानचित्र में दर्शाया है।

5.7 (5) रेल सेवा

जालोर नगर समदड़ी-सांचोर-भीलड़ी रेल लाइन पर स्थित है तथा इस स्टेशन से 24 घंटे में 17-18 माल गाड़िया व दो सवारी गाड़िया आती जाती है। वर्तमान में रेलवे स्टेशन का भवन पश्चिमी दिशा की तरफ निर्मित है जहां से यात्री जालोर नगर में आते जाते हैं। स्टेशन भवन के परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए खुली भूमि उपलब्ध है और स्टेशन भवन के विस्तार के लिए भी रेलवे विभाग के पास भूमि उपलब्ध है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2031 के अनुसार रेलवे लाइन के पूर्व की तरफ भी नई बस्तियां विकसित होंगी उनके लिए एक नया रेलवे स्टेशन भवन पूर्व की तरफ भी प्रस्तावित किया गया है। ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सकें।

5.7.(6) रेलवे ओवर ब्रिज

वर्तमान में राज्य राजमार्ग 16 जो आहोर से जालोर आता है उसे रेलवे लाइन पार करके आना पड़ता है जहां रेलवे फाटक स्थित है। वर्तमान में 24 घंटे में हर 25 से 30 मिनट में रेलवे फाटक बंद होता है और इस कारण रेलवे लाइन के दोनों तरफ काफी संख्या में वाहन खड़े रहते हैं। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में इस स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए भवन एवं पथ विभाग तथा रेलवे विभाग को संयुक्त रूप से तकनीकी परीक्षण व सर्वेक्षण करके योजना बनानी चाहिए। प्रस्तावित पूर्वी बाईपास सड़क पर भी रेलवे ओवर ब्रिज का प्रावधान भू-उपयोग योजना 2031 मानचित्र में दिया गया। भीनमाल सड़क से पूर्व की तरफ आहोर सड़क को जोड़ने के लिए 100 फीट चौड़ी रोड़ प्रस्तावित की है जो रेलवे लाइन को पार करेगी अतः इस सड़क पर भी ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भू-उपयोग योजना 2031 मानचित्र में दिया है।

भीनमाल सड़क से मोहन लाल प्याऊ के पास से पूर्व की तरफ नई बाईपास सड़क प्रस्तावित की है वह भी रेलवे लाइन को पार करेगी। अतः यहां पर भी रोड़ ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है।

5.7 (7) हवाई सेवा

इस नगर में वर्तमान में एक हेलीपेड़ महाविद्यालय के नजदीक स्थित है उसको यथावत रखा गया है तथा भविष्य के लिए कोई नया एयरपोर्ट प्रस्तावित नहीं किया गया है क्योंकि इस हेतु जोधपुर एअरपोर्ट से सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को नियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियन्त्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। इस उपयोग के अन्तर्गत 19168 एकड़ (7760.3 हे.) भूमि प्रस्तावित है। जालोर नगर में स्थित पहाड़ को पुरातत्त्वकालीन पट्टी में सम्मिलित है अतः उनको विकसित संरक्षित

रखा जाना है। तथा यह प्रस्ताव है कि इस पहाड़ के ऊपर एवं तलहटी पर सघन वृक्षारोपण किया जाये जिससे पर्यावरण में सुधार हो सके।

जालोर नगर के पूर्व की तरफ जवाई नदी स्थित है जो पूर्व दिशा से उत्तरी पश्चिमी दिशा की तरफ बहती है। इस नदी के पश्चिमी तट पर एक 50 फीट चौड़ा मिट्टी का बंध बनाने का प्रस्ताव है और इसके सहारे वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। इस तट बंध के निर्माण होने के उपरान्त नदी में बाढ़ के समय नगर में बाढ़ का पानी नहीं आ सकेगा अन्यथा जैसे पूर्व वर्षों में इस नगर में बाढ़ आ चुकी है, नगरवासियों का भी यह सुझाव था कि पर्यावरण एवं बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से यह प्रस्ताव आवश्यक है।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील विषय है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने से अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार है। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे-सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण के कारण नगरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडों, कुंओ आदि जल स्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईविलिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक-अर्द्ध-सार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

5.10 आपदा प्रबन्धन

आपदा दो तरह की हो सकती है। अकाल, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकम्प, महामारी, अग्निकाण्ड, गैस रिसाव, भवन का ढहना, दंगे, भगदड़ मचना आदि की स्थिति में घोर संकट के समय बचाव एवं तत्काल राहत की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में संकट को कम करते हुए बचाव व राहत के सभी तरह के आवश्यक कदम उठाने होते हैं और विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता रहती है। जानमाल रक्षा व सुरक्षा के प्रति सजग, संवेदनशील रहते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी होती है। जिला प्रशासन को सम्भावित आपदा से बचाव के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारी एवं आपदा पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा बलों, नागरिक संगठनों का सहयोग, आवश्यक मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जानी होती है।

बाढ़ से बचाव के लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए नाव, तैराक, लाईफ जैकेट, टॉर्च, रस्से व हेलिकॉप्टर आदि की और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टे, पानी को डाइवर्ट करने या सुरंग बनाने के लिए जे.सी.बी. व अन्य मशीनों की आवश्यकता रहती है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन मय प्रशिक्षित दल आदि आवश्यक है।

इसी तरह अन्य आपदाओं से बचाव व राहत के लिए सभी तरह के उपाय यथा पेरामेडिकल स्टाफ, दवाईयां, एम्बुलेन्स, मास्क, सुरक्षा बलों की तैनातगी आदि उपाय किये जाने होते हैं ताकि जान-माल की रक्षा हो सकें। आपातकाल में नागरिक सुरक्षा व राहत के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, आवश्यक संसाधन, कार्मिक, विशेषज्ञ, सम्बन्धित विभागों के दूरभाष नंबर, मोबाईल नंबर आदि की सुनिश्चितता आवश्यक है। इसके लिए सभी विभागों में आपसी तालमेल हो। जिला प्रशासन द्वारा भी आपदाओं से बचने के लिए आम जनता को प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है।

6

योजना का कार्यान्वयन

6. मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

जालोर नगर के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको मूर्त रूप दिया जा सके। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि नगरपालिका जालोर नगर को भेजी जायेगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि जालोर नगर के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका जालोर नगर द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगरपालिका जालोर नगर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका जालोर नगर से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका जालोर नगर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा नगर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका जालोर नगर का रहेगा, जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

कस्बे का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही कस्बे को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

जालोर नगर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई 'योजना 2031' में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृत यथा 90-बी के आदेश, आवंटन भूमि रूपांतरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृत आदि का समायोजित नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/ रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूखे रह गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू उपयोगों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होने की स्थिति में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नगर पालिका जालोर नगर द्वारा की जायगी जिससे कस्बे के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। जालोर नगर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। कस्बे में नई सुविधाएं विकसित कर, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि कर और जालोर नगर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय द्वितीय मास्टर प्लान

- 3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:
- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
 - (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।
- 4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :
- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
 - (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार योजनाएं तैयार की जायें और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित हैं, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अम्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7- मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख:

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST

(GENERAL) RULES, 1962

[Notification No.F.4(32)LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the state Government hereby makes the following Rules, namely:

RULES

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called "THE Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959)

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act.

(3) "Section" means a Section of the Act.

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5(i).

1. ¹[The draft Master plan prepared by the officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and it at least two popular daily newspapers having

circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. ²[If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely:
 - (a) Town map showing General Layout of the roads and streets in the town.
 - (b) Base map showing the generalized existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban Areas such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

-
1. Substituted by clause 2 of Notification No. F. 3(123) TP/36, Date 24-02-1970 vide C.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Extra-order; Part IV-c, Dated 24-02-1970 at page 329-331
 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19)TP/11/76 dated 21-9-1979 R.G. Pt. IV-c(i) dated 27-9-1979 page 339.

- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
- (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :(1)

- ¹(1) After considering the Objections/Suggestion and representation which may be received by the officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council if constituted under section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the state Government for approval.

- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

1. Substituted by clause 3 of Notification No. F.3(23)TP/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R.96 pub. In Raj. Gaz. Extraordinary., Pt. IV-C dated 24-2-1970 at page 329-331

2. Substituted vide No. F-9(101)UDH/111/83 Dated 27-10-83 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga)(i) dated 16-2-84 page 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प10(45) नविवि 3/2011 जयपुर,

दिनांक 2.8.2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को जालोर के नगरीय क्षेत्र जिसमे निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है-

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
	जालोर राजस्व ग्राम का जवाई नदी के दक्षिण-पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र	जालोर	जालोर
	लेटा	जालोर	जालोर

राज्यपाल की आज्ञा से

ह₀
(पुरुषोत्तम बियाणी)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर।
क्रमांक जेडीजेड/1120/एम.पी./जालोर दिनांक: 20.10.2011

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत जालोर (जिला जालोर) नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2011-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :-

क्रम संख्या	ग्रामों का नाम	तहसील का नाम	जालोर
1.	जालोर राजस्व ग्राम का जवाई नदी के दक्षिण पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र	जालोर	जालोर
2	लेटा	जालोर	जालोर

जालोर नगर का मास्टर प्लान (प्रारूप) के सम्बन्ध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, जालोर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि दिनांक 20.10.2011 से 18.11.2011 तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नगर पालिका परिसर, जालोर में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय, नगर पालिका, जालोर से क्रय किये जा सकते हैं।

ह₀
(चन्द्र शेखर पाराशर)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर, जोन जोधपुर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(45)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 28 MAY 2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के द्वारा यथा अधिसूचित "जालोर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, जालोर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।


राज्यपाल की आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, जालोर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जालोर।
8. रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक